[Pandit G. B. Pant]

whose plans for colonies are approved. So far 23 plans have been approved. I have an impression that something between 3,000 and 4,000 houses have been constructed—I would call them tenements rather—for the poorer section of the community. With regard to those tenements, the Government paid half of the rent so that the occupants may not be put to heavy burden on account of the rents that have to be paid for such tenements.

It is our desire that Delhi should be a model city and that every effort should be made to provide adequate accommodation for the people living in Delhi and those who are coming here everyday. The task, however, is a colossal one and it is likely to take some time.

I am really glad that all these three Bills are before the House today. I have been particularly interested in them, and it has been my desire that these Bills should be enacted during this session so that we may take practical measures to remove the many hardships and difficulties from which the people of Delhi suffer.

**Mr. Chairman:** The question is:

"That the Bill to continue the Delhi (Control of Building Operations) Act, 1955, for a further period, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**Pandit G. B. Pant:** I beg to move:

"That the Bill be passed".

**Mr. Chairman:** The question is:

"That the Bill be passed".

*The motion was adopted.*

---

## SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) BILL.

**Mr. Chairman:** The House will now take up the Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill and the Delhi Tenants (Temporary Protection) Bill, both together. The Business Advisory Committee has allocated 6 hours for discussion of both the Bills. So I propose that we do not divide up the time just now. Let us start now. As far as amendments go, the Delhi Tenants (Temporary Protection) Bill has a larger number of amendments tabled to it. So I would request the House, considering that we shall have to sit till we finish the work of the House, that Members themselves may put a check as to the time allotment. Let us pass the Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill in a shorter time than the other Bill which seems to be more debatable Bill with a larger number of amendments.

Now, we shall take up the first Bill.

**Shri U. M. Trivedi** (Chittoor): How can these two Bills be taken together?

**Mr. Chairman:** They will not be taken together. Let me explain.

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Gurgaon): When the time was allotted, this was not within our mind that both would be taken together. They are absolutely two separate Bills. The one has nothing to do with the other.

**Mr. Chairman:** Let me explain. My intention was that we should not divide up the time—say three hours for the first Bill and three hours for the other Bill. The House will remember that six hours have been allotted for both Bills. We shall take up the Bills separately. But I should like the House to remember that there are a large number of amendments to the second Bill, as it seems to be a more controversial Bill. Considering the fact that we will have to finish the work of the House today, whatever be the time we have to sit up, I would request Members to curtail their speeches to as short a time as possible.

**The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant):** I beg to move:

"That the Bill to provide for the improvement and clearance of slum areas in certain Union territories and for the protection of tenants in such areas from eviction, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

This Bill, as I have just stated, has already been passed by the Rajya Sabha. It is a very wholesome measure and I trust that every hon. Member of this House will be in sympathy with the object that this Bill seeks to achieve.

Delhi is the metropolis of our country. It has been attracting large numbers since it was selected as the capital of India. The numbers now living in Delhi have swollen during the last 15 or 20 years and much more so since 1946. The partition of the country also added to the weight of numbers that Delhi had been bearing even previously. Since then, other factors have come into play and there is a regular, ceaseless inflow of people into Delhi from all parts of the country. It attracts men and women even from other far-fetched countries which are situated at considerable distances from our own. It is regrettable, but perhaps, to some extent unavoidable that Delhi should be tremendously overcrowded.

Hon. Members may be aware that ordinarily, according to normal standard, there should be no more than 200 souls to an acre. The density figure for Delhi comes to 600; that is the average density of population. But, so far as the slum areas are concerned, it goes up to nearly 2,500 an acre. That hardly comes to 2 sq. yds. to one individual that lives there. But even if a man be regarded nothing better than a biped, he would still need more than 2 sq. yds. But, sometimes, men are huddled with horses and other animals. The tenements in which they have to live are deplorable in shape and also dangerous to life in many cases. The slum areas are abominable. They are a menace to life and morals, besides being even dangerous to safety itself.

So, it is necessary to remedy this state of affairs. At present, there are 500 acres roughly under slums. The population living in slums comes to nearly 2 lakhs; that is, about 40,000 families are somehow managing to exist in these slums. They are dilapidated; they are not repaired; they do not possess the amenities of life even in a minimum measure. There are no drains, no electric points, no lights, no water-taps and the condition of the dwellers, who have to live in such slums, can well be imagined. So, this Bill seeks to remove this evil. It will, considering the magnitude of the problem, take some time to effectively carry out the plan that is embodied in this Bill. But a beginning has already been made and we hope that vigorous measures will be taken in order to restore some sort of decency of life to the large numbers who are living under unimaginable conditions in these areas today. This Bill enable the Government to ask the owners of these slums to provide necessary amenities; the cost will be realised from them. It also empowers Government to order them to repair these slums and to take other measures that may be essential for the convenience of the dwellers of these slums. It also authorises Government to acquire slum areas, the land on which slums had been built and are standing today. So, this is a step in the desired direction. No differences of opinion can possibly exist with regard to such a measure. It is essentially humanitarian and intended to ensure the minimum standard of living for the people who suffer from poverty and who have to labour hard from day to day, sometimes right up to midnight. They deserve the sympathy of everyone.

Some compensation will be given to the owners of the slums when they are completely acquired. The Bill provides for the payment of 60 times the monthly rent by way of compensation. As the slums are lacking in

[Pandit G. B. Pant]

the necessary provision for amenities, taxes have to be paid, collection charges have to be incurred and repairs must be carried. So, some deduction has to be made out of the rent on these counts. Besides, the rents realised from the slums are exorbitant, unconscionable and excessive because were there should have been only 20 families living, there, nearly 100 to 150 families live and so the rent collected thus is much more than one would have got if the land had been used by for legitimate and not for unsocial purposes. So, in fixing the compensation the amount that could legitimately have been earned if proper and just use had been made of the land has also to be taken into consideration. So, bearing all these facts in mind, this formula has been devised for payment of compensation for the land that will be acquired from the owners of slums. They have collected large sums during the last 15 years; and they have in a way exploited the situation in a merciless way. So a provision has been made for compensation nevertheless. I hope the House will approve of the Bill and there will not be any prolonged discussion over this.

**Mr. Chairman:** Motion moved:

"That the Bill to provide for the improvement and clearance of slum areas in certain Union territories and for the protection of tenants in such areas from eviction, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : सभापति महोदया, यह बिल जिस गरज से हमारे सामने आया है, उस गरज के लिए मैं होम मिनिस्टर साहब को तहेदिल से मुबारकबाद देता हूं ।

जो साहब बाहर से आते हैं और जो साहब यहां रहते हैं दोनों के नुक्ते खयाल से, दिल्ली की हालत आजके दिन नागुफतेबेह है । हमारे भारतवर्ष की राजधानी इतनी गंदी और खराब हो यह हमारे लिए शर्म की बात है । अगर दिल्ली राजधानी न भी होती तो भी इस दिल्ली के साथ बहुत से लोगों को दिली मुहब्बत है । जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं इसे भारत की राजधानी के अलावा, अपने हरियाना का सबसे बड़ा शहर समझता हूं । सन् १९११ से पहले दिल्ली में हरियाना के यह जिले शामिल थे और यह दिल्ली कमिश्नरी के अंदर थे और अभी तक बहुत से सिविल केसेज के जजमेंट में हिसार, करनाल और गुड़गांव वगैरह को ओल्ड देहली की टेरिटरी के नाम से याद किया जाता था और यह उस समय की बात है जब कि दिल्ली राजधानी नहीं थी और कलकत्ते में राजधानी थी । उस समय यह सारा हरियाना हर एक चीज का मरकज था, तिजारत का सिविलिजेशन का और दीगर दूसरे चीजों का । आज जो दिल्ली में गंदी बस्तियों की सफाई की ओर सरकार की दृष्टि गई है और इन स्लम्स् की सफाई के वास्ते जो उसकी कोशिश है, उसका हम स्वागत करते हैं और दिल्ली को दुरुस्त और साफ करने की हमारी सबकी ख्वाहिशात भी उनके साथ वाबस्ता हैं ।

13-32 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair.*]

आज हम देखते हैं कि दिल्ली की हालत पहले के मुकाबले ज्यादा खराब होती चली जा रही है और दिल्ली की आबादी रोज-बरोज तरक्की पर है और पिछले चन्द एक सालों में पार्टीशन के बाद उसकी आबादीको तो इस कदर तरक्की हुई है कि जिस में अनप्रीसीडेंटिड इनक्रीज कहा जा सकता है । और पिछले तीन सालों में हम समझते हैं कि दिल्ली की आबादी १७ लाख से बढ़ कर २० लाख तक हो चुकी है । जब हम दिल्ली के चारों तरफ निगाह उठाते हैं तो देखते हैं कि उन जगहों पर जहां पहले वीराना था अब वहां पर अच्छी-अच्छी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खड़ी हैं और यह देख कर हमारी तबियत खुश हो जाती है कि दिल्ली में क्या ही शानदार

और आलीशान इमारतें बन गयी हैं या बन रही हैं मानों महल खड़े हों और वह महल हमारे सबके लिए फख्र की बात है। रिजर्व बैंक और दूसरी कितनी ही ऐसी शानदार इमारतें गवर्नमेंट ने बनाई हैं। और दूसरे बैंक बने हैं कि जिन को देख कर तबियत फड़क उठती है और ऐसा मालूम होता है मानों अलाद्दीन के चिराग के अन्दर जो ताकत थी उसको लेकर गवर्नमेंट आफ इंडिया दिल्ली में मकानात और इमारतें बना रही है। दिल्ली के महल आज दुनिया की किसी भी राजधानी के महलों से कम नजर नहीं आते। यह तो ठीक है कि जब उन महलों की तरफ हमारी निगाह जाती है तो हमारी तबियत खुश हो जाती है लकिन दूसरी तरफ जब हमारी निगाह दिल्ली के उन स्लम ऐरियाज की तरफ जाती है जहां कि हद की गंदगी मौजूद है और लोग वहां पर कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं तो हमारे दिलों को ठेस लगती है और सदमा होता है कि आखिर वे लोग जो इन गंदी बस्तियों में रहते हैं वे भी तो इंसान हैं। कुछ अर्सा हुआ मैं एक जगह को जिसका कि नाम हरफूल सिंह बस्ती है देखने गया और उसी दिन मुझे यहां हाउस में बोलने का मौका मिला, तब मैंने यह अर्ज किया था कि अगर दुनिया में कहीं नर्क है तो वह हरफूलसिंह की बस्ती में है और वह बिल्कुल हैल है। वहां पर बहुत ज्यादा कंजैशन है और वह सचमुच में डेंस आफ इम्मोरैलिटी हैं और वे ऐसे डेंस हैं जिनके कि अन्दर ह्यूमन एग्जिसटेंस जस्टीफाई नहीं की जा सकती है और वहां लोग इंसानों की तरह भी नहीं रहते हैं। इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता कि गंदी बस्तियों की सफाई होनी चाहिए, उनका एक्वायर करना तो आसान है लेकिन उनकी सफाई का काम निहायत मुश्किल है। कुछ अर्सा हुआ यहां पर गवर्नमेंट को हाउसेज के मुताल्लिक एक बिल आया था और उसके बारे में जो सेलेक्ट कमेटी बैठी उसका मैं चेअरमैन था और मुझे और सेलेक्ट कमेटी के दीगर मेम्बरान को इन स्लम्स को देखने का मौका मिला था और उसके सिलसिले में हमने देखा कि इस बारे में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जितनी भी कोशिशें थीं वह नहीं के बराबर थीं और उसने कुछ काम ही नहीं किया। देहली में जो कुछ काम उसने किया वह बहुत थोड़ा था और वह भी इस किस्म का था जिससे कि हमको सख्त डिस्सैटिसफैक्शन हुआ और हम यह समझे कि यह मामला तय नहीं होगा। एक वक्त था कि हमनें इस बिल को तकरीबन नामंजूर कर दिया था लकिन फिर चन्द एक दिल्ली के मेम्बर साहबान ने इस बिल के ऊपर नजरसानी करने की दरख्वास्त दी और जिसका कि नतीजा यह हुआ कि वह बिल इस हाउस से पास हो गया लेकिन मैं जानता हूं कि दिल्ली के मेम्बर साहब और दूसरे मेम्बर लोग हालांकि इस बात के ख्वाहिशमंद है कि स्लम्स साफ हो जायें लेकिन उनको इस बात की तसल्ली नहीं हैं कि किस तरीके से काम चलेगा और किस तरकीब से हम उसको कर सकेंगे। जब हम बिड़ला कमेटी की रिपोर्ट को देखते हैं और ८५ करोड़ रुपये की रकम को देखते हैं और जब हम काम का खर्च से मुकाबला करते हैं तो हमारे दिल में कोई शुबहा नहीं रहता कि इस काम के वास्ते कम से कम १५० करोड़ रुपये की रकम चाहिये अगर हम सही मानों में दिल्ली को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि जो शख्स बाहर से आये वह यहां से मुतास्सिर होकर जाय और यह चीज दिल में लेकर जाय कि हिन्दुस्तान के लोग अगर अमीर नहीं तो कम से कम उनके रहने का जो तरीका है वह निहायत अच्छा और मुहज्जब है।

अब यह जो बिल हमारे सामने आया है इसके मुताल्लिक जो ऐदाद शुमार दिये हुए हैं और उनमें जो कमियां मैं पाता हूं उनकी तरफ मैं हाउस की तवज्जह दिलाऊंगा। इस वजह से नहीं कि मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट के दिल में स्लम्स क्लिएरेंस करने का इरादा नहीं है या गवर्नमट कोई भी ठीक कार्यवाही करने में कोई दकीका बाकी रक्खेगी, ताहम मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जैसे हमने पहले बिल के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बार में सेलेक्ट कमेटी में बहस की और इस बिल के जिस तरीके से काम करने का तरीका है मुझे डर है कि उससे गरीबों को तकलीफ होगी । जिन लोगों की बाबत हम इतना चिल्लाते हैं और जिनको कि हम बारबार गरीब कहते हैं, उस गरीब जनता का क्या बनेगा और किस तरीके से उनका यह काम किया जायगा, यह हमारी तवज्जह का मुस्तहिक है और मैं इसके बारे में चन्द एक बात अर्ज करना चाहता हूं । मेरी नाकिस राय में स्लम क्लिएरेंस का मामला बहुत जल्दी तय होने वाला नहीं है और अगर बहुत जल्दी में इस स्लम्स की सफाई के काम को लिया गया तो इसमें बड़ी दिक्कत वाके होगी और हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं होंगे । जब तक कि हम पबलिक को-आपरेशन इसके अन्दर पूरी तरह से हासिल नहीं करेंगे, यह मामला ही ऐसा है कि जिसके अन्दर आसानी से हम अपनी मुश्किलात को रफा करके जल्दी कामयाब नहीं हो सकते । मैं इसके वास्ते चन्द एक बात आनरेबुल मिनिस्टर की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उन पर गौर करें और जहां तक हो सके उनको सुलझाने की कोशिश करें ।

अव्वल तो मैं यह देखता हूं कि यह स्लम्स क्लिएरेंस जो इस बिल की सबसे बड़ी बात है और उसमें स्लम्स क्लिएरेंस की यह तारीफ की गई है :

'"Slum clearance" means the clearance of any slum area by the demolition and removal of buildings therefrom'.

इसमें बिलकुल अख्तयार हासिल है कि आप स्लम्स क्लिएरेंस के वास्ते एक स्क्वैड भेज दीजिये और उसको यह हुक्म दे दीजिये कि वह स्लम्स को फौरन हटा दे और खत्म कर दे लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि वे लोग कहां जायेंगे जिनको कि आप वहां से निकाल देंगे, उनको आप क्या देंगे, उनके वास्ते आप क्या इंतजाम करेंगे, उनकी रोजी का क्या बनेगा, उनको नये मकानात बना कर देंगे या नहीं देंगे, यह सब सवाल इस स्लम्स क्लिएरेंस के सम्बन्ध म पैदा होते हैं और मैं जानता हूं कि दफा ११ के अन्दर हमको बतलाया गया कि क्या होना है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं है । दफा ११ में इस तरह से लिखा हुआ है :

"Where land has been cleared of buildings in accordance with a slum clearance order, the competent authority may, at any time after the expiration of twelve months from the date on which the order became operative by order determine to re-develop any land which on the date of the making of the order has not been, or is not in process of being, re-developed by the owner thereof in accordance with plans approved by the authority and any restrictions and conditions imposed under sub-section (7) of section 10."

इतना तो इसमें लिखा गया कि जहां लैंड डेवलप्ड नहीं है उसको, रीडेवलप करने की काम्पीटेंट एथारिटी कोशिश करेगी । मैं चाहता था कि यह बिल मुकम्मिल होता और इस के अन्दर यह लिखा जाता कि किस तरीके से इसको रीडेवलप किया जायगा और किस तरीके से उन लोगों की जो कि स्लम्स में रहते हैं कोई फेहरिस्त बनाई जायगी या उनको कोई इस तरह का ऐश्योरेंस दिया जायगा कि वे दुबारा जब नये मकानात उस जगह पर तामीर होंगे तो उनको आबाद किया जायगा और इस अर्से में उनको क्या आलटरनेटिव एकोमोडेशन दी जायेंगी । मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल ऐसा है कि इसको उसी बिना पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए सन् १९४७-४८ में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सिद्धान्त रक्खा था जिसकी कि बिना पर शरणार्थी समस्या को टैकिल किया गया ।

उन्होंने कहा कि जिस शख्स को किसी घर से निकाला जाए, उसको पहले अल्टर्नेटिव अकोमोडेशन दे दी जाए तब निकाला जाए, वरना न निकाला जाए। अगर यह प्रिंसिपल न कायम होता तो जो रिफ्यूजी प्राब्लेम थी, जिसकी बावत आनरेबल मिनिस्टर साहब श्री खन्नाजी बहुत दफा कह चुके हैं कि वह करीब करीब खत्म कर दिया गया, उसकी फ्रिंज को भी टच न करता। मैं जानता हूं कि जहां तक रिफ्यूजीज का सवाल है, दिल्ली के अन्दर हजारों आदमियों को इस तरह से निकाला गया, इतनी बेदर्दी से निकाला गया, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। रात को ११ बजे पुलिस का स्क्वैड पहुंचा और उनको मकानों से निकाला, लौरी में असबाब डाला और दिल्ली से आठ मील दूर जंगल में छोड़ आया जहां पर रहने के लिए नाम की भी कोई चीज नहीं थी। इस बेदर्दी के साथ उनको आल्टर्नेटिव अकोमोडेशन के नाम पर यहां से दूर डाला गया जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पर हुक्म दिया था कि किसी को रहने की जगह दिए बिना घर से न निकाला जाए। अगर इसी तरह से स्लम क्लिअरेंस करवाना है, तो मैं कहता हूं कि उन बेचारों पर रहम कीजिए, उनकी तकलीफ को इस बेदर्दी के साथ न बढ़ाइए। मैं पहली चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बिना आल्टर्नेटिव अकोमोडेशन का इन्तजाम किए बगैर किसी स्लम एरिया के मकानों को गिराने का हुक्म न दे। किसी स्लम एरिया में किसी एक मकान को गिराना एक चीज है लेकिन सारी एरिया को ढा देना दूसरी चीज है। इसलिए किसी शख्स को, जिसको आप निकालना चाहते हैं, अपने घर से निकाला न जाए जब तक उसके लिए आल्टर्नेटिव अकोमोडेशन न प्रोवाइड की जाए। यह पहली शर्त है। इस उसूल पर, जिस पर वह कई बरस से अमल करती रही है, जिस की गवर्नमेंट पाबन्द है कि कम से कम लोगों को दिक्कत हो, गवर्नमेंट को स्लम क्लियरेंस के बारे में अमल करना चाहिये।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि अगर किसी ऐसी एरिया का स्लम एरिया में लिया जाय, जो कि स्लम एरिया की तारीफ में नहीं आती हैं, उसके लिए जो शर्तें रक्खी गई हैं, उनसे मुझे डर है कि अगर गवर्नमेंट खास तौर से एहतियात से काम न ले, तो जिन लोगों को गवर्नमेंट फायदा पहुंचाना चाहती है, उनको फायदा पहुंचने के बजाय बेजा तकलीफ पहुंचेगी, जो कि गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। जरा मेहरबानी कर के आप स्लम एरिया की तारीफ का मुलाहजा फरमाएं :

"Where the competent authority upon report from any of its officers or other information in its possession is satisfied as respects any area that the buildings in that are—

(a) are in any respect unfit for human habitation; or

(b) are by reason of dilapidation, over-crowding, faulty arrangement and design of such buildings, narrowness or faulty arrangement of streets, lack of ventilation, light or sanitation facilities, or any combination of these factors, are detrimental to safety, health or morals,......"

अगर हमारे पास काफी रुपया और रिसोर्सेज हों तो मैं एक लफ्ज भी इसमें से लेने को तैयार नहीं हूं, न क्रिटिसिज्म करने को तैयार हूं, मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि इसमें से नुकायस निकल जाएं, लेकिन मुझे डर है कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, जितना मसाला है, जिससे हम लोगों को आराम देना चाहते हैं, उसके मुताबिक अगर किसी स्लम एरिया का **फाल्टी अरेंजमेंट एंड डिजाइन आफ सच बिल्डिंग या फाल्टी अरेंजमेंट आफ स्ट्रीट्स** की वजह से ढाना शुरू हुआ, तो दिल्ली के अन्दर एक ऐसी आफत आ जाएगी जो कि न किसी भूचाल से आती है और न किसी फ्लड से आती है। आप इस डेफिनिशन को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसमें रक्खें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन महज खूबसूरती लाने की वजह से, जैसा कि आपने रक्खा है, इसको आप अमल में कम लाएं। दिल्ली में ऐसी जगहें हैं, दिल्ली क्या, देश के सारे शहरों में हैं, जो खराब तरीके से बनी हैं। हम तीन सौ वर्ष तक एक ऐसी गवर्नमेंट के मातहत रहे जो कि एक पुलिस स्टेट कहलाती थी, उसके नीचे रह कर ऐसे मकानात होना मुमकिन नहीं था जो कि अच्छे कहे जा सकें, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारा हर एक शहर सुन्दर बने। हम दिल्ली के लिए भी यही चाहते हैं, लेकिन जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि फाल्टी अरजमेंट की वजह से यह मुहल्ले न गिराये जावें। अगर किसी दूसरी चीज के साथ वह कम्बाइन्ड हों, तो भले ही इसको ले लें, लेकिन अगर सिर्फ फाल्टी अरेंजमेंट की वजह से किसी एरिया को ढाना शुरू कर देंगे तो आफत बरपा हो जाएगी क्योंकि लोगों के मकान बनाने का काम इतना लम्बा चौड़ा है कि आसानी से उसे हल नहीं किया जा सकता।

फिर इस बिल के अन्दर लिखा है :

"as respects any area that the buildings in that area—"

यह काम्पिटेंट अथारिटी का काम है कि वह किसी एरिया को स्लम एरिया करार दे दे। लेकिन इस में यह दर्ज नहीं है कि इस के अन्दर खराब मकानों का क्या परसेन्टेज होना चाहिए, इस का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर उन की बिल्डिंग इतनी खराब होगी तो उस का स्लम एरिया करार दे दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस चीज के बिना यह बिल इन्कम्प्लीट है क्योंकि इस के अन्दर पूरी पिक्चर नहीं है कि काम्पिटेंट अथारिटी कैसे किसी एरिया को स्लम एरिया करार देगी। मैं चाहता था कि वह पिक्चर भी हमारे सामने होती, उस को देख कर हम कह सकते कि इस पिक्चर के मुताबिक यह काम किया जाए। काम्पिटेंट अथारिटी का जिक्र पहले भी आ चुका है। हम को बताया गया था कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो इस मामले को देखेगा। मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में कहां तक तरक्की हुई है और उस की क्या तजावीज हैं। उन की तजावीज की अदम मौजूदगी में मेरे वास्ते जायज नहीं है कि मैं बिल के वास्ते कुछ क्रिटिसिज्म करूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह हिस्सा तजावीज का इस बिल के साथ आना चाहिए था ताकि स्लम क्लियरेंस के साथ हम स्लम एरिया व साफ किये हुए एरिया का नमूना भी देख लेते जो इस बिल के अन्दर मकानात का दर्ज है, और जो स्लम का हिस्सा है उस को किस तरह से गिराया जाएगा और खर्चा वसूल किया जाएगा। लेकिन जहां पर कटरे का कटरा गिरा दिया जाएगा उस सूरत में क्या होगा यह इस के अन्दर साफ नहीं है। मैं चाहता था कि वह भी इस के अन्दर होता ताकि हम कह सकते कि किस तरह से काम करना चाहिये। उस की अदम मौजूदगी में मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से हमारे पहले बिल, गवर्नमेंट प्रेमिसेज के बिल, की किश्ती टूट गई, उसी तरह से हमें इस बिल की किश्ती टूटती मालूम होती है। क्योंकि वह चीज हमारे सामने नहीं है जिस से हम मालूम कर सकते कि आप गरीब आदमियों के साथ कैसा सुलूक करना चाहते हैं। इस वक्त तो मैं यही समझता हूं कि जिस तजवीज से आप स्लम एरिया के लोगों को राहत देना चाहते हैं उस तजवीज से नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास पूरी तसवीर और मसाला मौजूद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जैसा पिछली दफा किया गया, कि स्लम एरिया के अन्दर रहने वाले आदमियों को आठ मील दूर जंगल में ले जा कर छोड़ दिया गया, वैसा किया जाए। अगर गवर्नमेंट यह कहे कि उन लोगों को आठ मील दूर मकानात दिए जाएंगे, तो

हम लोग उस के भी बखिलाफ नहीं हैं, अगर आप सब आदमियों को एक जगह पर मकान नहीं दे सकते क्योंकि जगह कम है, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि आप सब आदमियों को एक ही जगह मकान दें, लेकिन मैं यह जरूर देखना चाहता हूं आप उन को वहां पर भेजें जहां पर उन के विजिनेस और ट्रेड्स से रोजी कमाने का साधन व उम्मीद हो। जहां तक ट्रेड्स का सवाल है, आप उन को भी अलग रख सकते हैं, लेकिन जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं, अपने घरों में जूते बनाने वाले हैं, जिन लोगों को उसी की कमाई है, जो सैंकड़ों वर्षो से इस काम को करते चले जाते हैं, अगर आप उन को आठ मील दूर भेज देंगे, या जो लोग सब्जी वगैरह का या बरतन बनाने का काम करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते चले आए हैं, अगर आप उन को इतनी दूर भेज देंगे, जहां पर वह अपनी रोजी न कमा सकें तो यह वाजिब नहीं होगा। इस लिए इस तरह से शहरों को रिडेवेलप करने में पहली शर्त होनी चाहिए कि आप मैंजारिटी आफ दि पीपल को उसी जगह पर मकान देंगे जहां पर उन के कस्टमर्स हैं, जहां वह अपना काम कर सकें। आप दिल्ली के लिए ऐसा प्लान बनाएं जिस में यह सब आसानियां लोगों को मयस्सर हों, एक जगह से ले कर दूसरी जगह तक इस सिलसिले में लोगों को कोई तकलीफ न हो। आप इस तरह की चीजें हमारे सामने रक्खें, हमें इस में कोई एतराज नहीं है लेकिन जब मैं ने इस बिल को देखा तो मुझे नहीं मालूम हो सका कि नया नक्शा क्या है। अगर वह होता तो हम कह सकते कि वह नकशा दुरुस्त है या नहीं।

इस के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन के पास रहने के लिए मकान हैं, जो किरायेदार नहीं हैं, आप ही मालिक हैं और आप ही अपने मकानों में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टेनेंट हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं जिन के पास कई-कई मकान हैं, और तह बाजारी या जमीन के भी मालिक हैं। हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो क्रिटि... किया वह ऐसे आदमियों के लिए लागू हो सकता है लेकिन बाकी आदमियों पर यह चीज लागू नहीं होती। उन के बारे में खास तौर पर मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं, और उस हिस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस का ताल्लुक कम्पेन्सेशन से है। इस कानून में, जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, जमीन और मकान दोनो चीजों को मान कर सिक्सटी (६०) टाइम्स मंथली रेंट रक्खा गया है।

इस बिल के अन्दर उसके शैड्यूल के अन्दर यह दर्ज है कि इस रकम का ६० परसेंट उसको दिया जाएगा और बाकी जो ४० परसेंट है, वह कलेकशन चार्जिस या और दूसरी चीजें जो होंगी उनकी खातिर रख लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करता हूं कि अगर कोई मकान मालिक है जोकि जिस मकान में वह रहता है, उसकी कीमत २,००० रुपया है और आज उसका किराया, मान लीजिये, पांच या सात रुपया माहवार है। यह किराया मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं देता है और हो सकता है कि आप को ज्यादा मालूम दे। पहले आम तौर पर ३ फीसदी कायदा समझा जाता था—अब भी ५ या चार परसेंट प्रापर्टी की उपज होती है। तो आज जिस मकान में मालिक खुद रहता है और उस मकान की कीमत अगर १५०० भी रखें और उसका किराया पांच रुपया माहवार रखे, तो इसके हिसाब से वह ३०० रुपये का ही हकदार है। अब इस ३०० रुपये का ६० परसेंट जो उसे शैड्यूल की दफा १५ के मातहत मिलेगा, वह केवल १८० रुपया ही होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है? मेरी अदब से गुजारिश है कि आपने कांस्टीट्यूशन का दफा ३१ को एमंड किया। साथ ही साथ जो पुरानी एक दफा थी कानून १, १९९४ का

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उसके तहत उसको मार्किट वैल्यू का १५ परसेंट और मिला करता है, वह भी खत्म हो गई। तो मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है और जो आज अपने मकान में रहता है, कोई वजह नहीं है कि आप उसको आज इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने के लिए कहें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिन स्लम्स को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक्वायर किया था, उनका उसने पांच से दस रुपया फी गज के हिसाब से उनको मुआवजा दिया। जब वे लोग कोर्ट में गए तो मुआवजे की रकम कुछ बढ़ गई। लेकिन इस पर भी लोग इतने नालां थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है और सारे मामले को देखकर कमेटी के सभी मैम्बरान ने महसूस किया कि मुआवजा कम दिया गया है। इस जमीन को जब बाद में डिवेलेप कर लिया गया और फिर बेचा गया तो बहुत बड़ी रकम फी गज लेकर बेचा गया। यह वही जगह है जहां आप आज डिलाइट सिनेमा तथा दूसरी आलीशान बिल्डिंग्ज देखते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर फैंसी प्राइसिस मांगी जायेंगी या फैंसी प्राइसिस दी जाएंगी तो स्लम क्लीयरेंस का जो काम है वह चल नहीं सकेगा। आप जहां पर आज स्लम्स को क्लीयर करना चाहते हैं, वहां जिस आदमी का आप मकान लें उस शख्स को आप यह गारंटी दें कि आप उसको जगह डिवेलेप हो जाने के बाद मकान देंगे, जिससे सैक्रिफाइस करायेंगे, उसको आप प्लाट देंगे और साथ ही साथ नकशा भी देंगे। इस तरह से उसको प्लाट और नकशा देकर आप उस पर इंसिस्ट करें कि वह वैसा ही मकान आपको बना कर दे जैसा की आपके प्लान के अन्दर है। वह जो मकान बनायेगा वह सस्ता बनायेगा, खुद काम करेगा, अपने दोस्तों की मदद लेकर काम करेगा और अच्छा बनायेगा, मजबूत बनायेगा। जब पहले पहल नगर और इसके इर्दगिर्द मकान बने थे उस वक्त इन को कोई लेने को तैयार नहीं था और सब यह कहते थे कि ये मकान सी० पी० डब्ल्यू० डी० के बनाये हुए हैं इनमें मट्टी ही मिटटी लगी हुई है और खराब हैं। आज चूंकि उन स्थानों पर जमीन की कीमत बढ़ गई है, इस वास्ते इनकी कीमत भी बढ़ गई है। इस वास्ते मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपको जमीन मिल जाए और आप प्लाट्स काट लें और उन लोगों को इन प्लाट्स को दे दें और साथ ही एक नकशा भी दें और उनसे कहें कि वे इस नक्शे के मुताबिक मकान बना ले तो वे लोग कम पैसों में, अपनी मेहनत से, आपके हुकम के मुताबिक मकान बना कर आपको दिखा देंगे जोकि ज्यादा मजबूत होंगे। अगर आप सैटिसफाइड हो जायें तो आप उनको इन मकानों में रहने की इजाजत दे सकते हैं।

**श्री नवल प्रभाकर** (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अगर रहने वाले ज्यादा हों, तो क्या होगा ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अगर आप यह समझते हैं कि जितने भी उन स्लम्स में रहते हैं उन सब को वहीं बसाया जा सकता है, तो यह गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है यह एक नामुम्किन चीज है। आज हम देखते हैं कि यहां पर इन स्लम्स में एक एकड में २५०० लोग रहते हैं। हर एक आदमी को आप मकान बना कर दें, यह नामुम्किन है। इंगलड में जब मैं एक कमेटी के साथ गया था तो वहां पर मैंने देखा था कि एक म्यूनस्पल कमेटी ने ३५,००० मकान बनाए थे लेकिन यह नहीं हो सका था कि हर एक आदमी को मकान मिल जाता। वहां की आबादी भी कम है और उस मुल्क के हमारे मुल्क से रिसोर्सिस भी ज्यादा हैं। हमारे सामने केवल एक दिल्ली का ही सवाल नहीं है। यह ठीक है कि दिल्ली राजधानी है, जहां पर मिनिस्टर लोग रहते हैं और इस लिहाज से यह एक खुश किस्मत जगह है। लेकिन साथ ही साथ बाकी

शहरों ने क्या कसूर किया है, वे भी तो हमें उतने ही प्यारे होने चाहियें, जैसे कि दिल्ली। सभी शहरों के लोग यही चाहते हैं कि वहां भी स्लम्स न रहें। इस वास्ते हमें कोई ऐसा व्यू नहीं लेना चाहिये जो कि प्रेक्टिस में न आ सकता हो। एज ए प्रेक्टिकल मैन मैं अर्ज करता हूं कि आप प्लाट बना कर दें और साथ ही साथ उनको आप एक नक्शा दें और उनसे कहें कि वे इसके मुताबिक अपने मकानात बनायें। अगर आप चाहें तो आप एक वक्त मुकर्रर कर सकते हैं जिसके अन्दर उनको मकान बना कर देने के लिए आप बाध्य कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि उनको एक मुकर्ररा वक्त के अन्दर मकान बनाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वे इसको कर सकते हैं। हार्डशिप का होना तो जरूरी है। आप आज करोड़ों रुपया लो इनकम ग्रुप वालों को कर्ज दे कर मकान बनवाने में खर्च कर रहे हैं। आपने उन शरणार्थियों को जिन के पास मकान भी नहीं थे इस तरह की सहूलियत दी है। यह बहुत अच्छा काम है जो आपने किया है और ऐसे कामों से ही पता चलता है कि यह एक वेलफेयर स्टेट है। सचमुच जब मैं गवर्नमेंट को ऐसे-ऐसे काम करते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे काम करके आप लोगों की शुकरगुजारी हासिल करते हैं और यही उनकी शुकरगुजारी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है।

इस बिल की जो पोजिटिव साइड है वह हमारे सामने नहीं रखी गई है, इस वास्ते उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता और उस पर कोई राय नहीं दे सकता। आपने यही कहा है कि ऐसी जमीनों को रिडिवेलेप करने की कोशिश की जाएगी, कैसे आप रिडिवेलेप करेंगे, किस तरह से यह सब काम होगा, यह एक क्लोज्ड चैप्टर है, और मैं इसपर रायजनी नहीं कर सकता हूं मैं यह भी नहीं कह सकता कि इसको जानबूझकर हमारे सामने पेश नहीं किया गया है। हो सकता है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जब तक इसका पूरा तखमीना न लग जाए, तब तक उसको यहा दर्ज करना वाजिब न समझा हो। तो जो सारी पिक्चर है वह हमारे सामने नहीं है।

जो बिड़ला कमिटी की रिपोर्ट है उसमें खास तौर से एक [illegible] उस सजेशन का हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी अभी-अभी अपनी तकरीर में जिक्र किया है और निहायत संजीदगी से उसको एंडोर्स किया है। वह सजेशन यह है कि इसके अन्दर जितना भी पब्लिक को-आप्रेशन हासिल किया जाए, उतना ही थोड़ा है। मैंने एक तरह की को-आप्रेशन का जिक्र अभी किया है और वह मकानात के मालिकान के साथ जो सलूक किया जाना चाहिये उसके बारे में है। लेकिन जो टेनेंट्स होंगे उनको इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। मकानों के मालिकों के बारे में यह तो आप कह सकते हैं कि उनको अगर मुआवजे की बजाए प्लाट मिले तो कुछ तो मिलेगा, उनके पास कुछ तो फाल बैक करने के लिए होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेनेंटस हैं और जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, जोरो है। और न उनके पास ज्यादा रिसोरसज हैं। लेकिन ताहम दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ऐसा खुशकिसमत शहर है जिसके अन्दर लोगों को भूख का मुकाबला आम तौर पर नहीं करना पड़ता है।

14 Hrs

यह जो सारा लाहौर उठकर यहां आगया और ये जो लाखों शरणार्थी यहां आ गये उसकी वजह यह थी कि उनको लाहौर से और पंजाब से आते ही रोजी मिल गयी। गवर्नमेंट की मेहरबानी से सारे बाजारों में उनकी दूकानें लग गयीं और सारे चबूतरों को उन्होंने आकुपाई कर लिया। दिल्ली में अब भी सराउंडिंग एरिया से मजदूरी अच्छी मिलती है। हर एक मजदूर यहां इतना बदहाल नहीं है जैसे कि मजदूर बाकी हिस्सों में हैं। यहां पर ऐसी सूरत है। मैं गवर्नमेंट से उनके वास्ते यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार उनके लिए जो मकानात बनवाये उनका मुनासिब किराया वसूल करे। जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरों से १० पर सेंट लेती है उससे ज्यादा हरगिज इनसे न लिया जाये। जिनके वास्ते मकान बनाये जायें उनको पबलिसिटी के जरिये यह एश्योरेंस मिलना चाहिए कि उनके साथ हर तरह की रियायत बरती जायेगी और उनको तकलीफ नहीं होगी। आज लोग स्लम क्लियरेंस चाहते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वे भी चाहते हैं लेकिन वे डरते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके साथ कैसा सलूक होगा और किस तरह से वे रहेंगे। मैं चाहता हूं कि उनका को-आपरेशन लिया जाये, उनसे मजदूरी करवाई जाये। इस तरह से उनको काफी दिनों तक काम भी मिलेगा। उनको सारी कंडीशन्स बतलाकर उनका को-आपरेशन लिया जाये। और जैसा कि अभी मेरे एक दोस्त ने कहा उनसे कुछ श्रमदान भी लिया जाये क्योंकि एक शहर को अच्छा बनाने के लिए हरएक शहरी का फर्ज कि वह कुछ सेक्रीफाइस करे चाहे वह मजदूर हो या न हो। मैं चाहता हूं कि उनको पबलिसिटी के जरिये बतलाया जाये कि आपका उनके रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान है।

जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिनके आप मकानात लेना चाहते हैं, उनके बारे में मैं फिर आपकी इजाजत से यह दोहराना चाहता हूं कि जो आपने कम्पेन्सेशन दिया है वह शाकिंगली कम है। इट शाक्स वन्स कांशेंस। हर एक मालिक ने १५ बरस तक फायदा नहीं उठाया है। जिन्होंने ज्यादा फायदा उठाया है अगर आप उनके साथ कमी करें तो मुझे कोई ज्यादा एतराज नहीं होगा। लेकिन उनके लिए भी आप इतना कम न करें कि उनको आठवां हिस्सा या दसवां हिस्सा दें। यह वाजिब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप कम्पेन्सेशन के सवाल को ही हटा दें। आप जिनके मकानात लें उनको जमीन दें। उनको जो आप मिनिमम जमीन वाजिब समझते हैं वह आप दें तो उनको कोई एतराज नहीं होगा और वह आपके साथ कोआपरेट करेंगे। बाकी जिन लोगों को किराया देना है उनका किराया मुकर्रर कर दिया जाये। वरना जो आपने कम्पेन्सेशन रखा है यह वाजिब नहीं होगा और इसकी वजह से लोगों में बहुत डिससैटिस्फेक्शन पैदा होगा। इतना कम कम्पेन्सेशन मिलने की वजह से बहुत लोग सख्ती के शिकार हो जायेंगे।

इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट तो करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर आनरेबल मिनिस्टर साहब तवज्जह फरमावें।

**Mr. Chairman:** I find that six hours have been allotted for these two Bills—this Bill and the other Bill. We have to divide the time for these Bills. Today is the last day of the session, and we do not know how long Members will be able to sit late. We should stick to the time-table.

**Pandit G. B. Pant:** So far as this Bill is concerned, I think it would not take more than an hour.

**Mr. Chairman:** So many Members have sent their names.

**Pandit G. B. Pant:** We shall listen and see.

**Mr. Chairman:** If we can finish this Bill quickly, certainly we can devote more time to the other Bill, because there are many amendments to the other Bill.

**Pandit G. B. Pant:** The recommendation made by madam Chairman was that we should finish this Bill early so that some time may be available to the other Bill, if there is no controversy over this Bill.

**Shri M. K. Meitra** (Calcutta North-West): This is a very important Bill.

**Mr. Chairman:** Though it may be very important, we have to finish it within the allotted time. Six hours are allotted for both these Bills. There are many amendments to the other Bill.

**Shri Nand Lal Sharma** (Sikar): What is the quota of time?

**Mr. Chairman:** That is what I want to know. Otherwise, Members will say there is not enough time and all that. I have already got so many names with me.

**Shri Radha Raman** (Delhi City): We have not been able to follow. Out of six hours, how much time do you want for the Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill?

**Mr. Chairman:** That is what I want to know.

**Shri Radha Raman:** We suggest four hours for this Bill and two hours for the other Bill.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** Three hours and three hours respectively.

**Pandit G. B. Pant:** The suggestion was that less time should be given to this Bill and more time to the other Bill. I do not think this Bill is going to take as much as four hours. It cannot possibly take.

**Shri Radha Raman:** Then, what time should be given for the other Bill?

**Pandit G. B. Pant:** Fix four hours.

**Mr. Chairman:** I shall try to accommodate all the Members who have sent their names, but they should not repeat what has already been said by other Members. That is my only request.

**Shri Nand Lal Sharma:** We have been thinking that there will not be so many Members to speak. So, we did not send our names.

**Mr. Chairman:** I shall consider how many Members I can accommodate. I cannot promise. Members should try to be very brief and to the point. Shrimati Subhadra Joshi may now speak.

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (करनाल) : सभापति महोदय, आज जो ये दो बिल इस सभा के सामने आये हैं, उनके लिए मैं सचमुच गवर्नमेंट को बधाई देती हूं ।

राज्य सभा में और यहां भी ऐसा मालूम हुआ कि शायद ये बिल अचानक आ गये । राज्य सभा में भी ऐसा कहा गया और कुछ सदस्यों ने यहां भी यह कहा है कि शायद इन बिलों को काफी वक्त नहीं दिया गया । या जैसी कमेटी वगैरह बनायी जानी चाहिए थी वह नहीं बनायी गयी । तो सबसे पहले तो मैं यह अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि यह स्लम क्लियरेंस का और किरायेदारों का मामला कोई नया मामला नहीं है । दिल्ली के लोगों का बरसों से इन सवालों से ताल्लुक रहा है और इस हाउस में भी यह स्लम क्लियरेंस की बात बार बार आ चुकी है, इसके लिये दर्जनों कमेटीज़ बन चुकी हैं । इसके लिए प्रधान मंत्री ने भी एक अलग कमेटी बना रखी है, हैल्थ मिनिस्टर ने भी

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

एक कमेटी बना रखी है और यह मामला कई दफा हाउस के सामने आ चुका है और इस पर बातचीत हो चुकी है ।

जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, अभी तक दिल्ली वालों को यह नहीं मालूम कि आपकी स्लम क्लियरेंस की डेफीनीशन क्या है । जो हालत इस बारे में अभी तक रही है अगर वही आगे भी रहने वाली है मैं अदब से अर्ज करूंगी कि उससे हम सचमुच डरते हैं । इस मामले में सबसे बडी दिक्कत तो यही है कि यह पता नहीं चलता कि इस मामले से कौन डील करता है । कभी कोई बिल इसके लिए हैल्थ मनिस्टर ले आती हैं, आज होम मिनिटर साहब इसके लिए बिल लाये हैं, एक बिल हाउसिंग वाले मिनस्टर साहब भी ला चुके हैं । ये सभी बिल स्लम क्लियरेंस से ताल्लुक रखते हैं । जब इस हाउस में बिल आते हैं तो मिनिस्टर उनको डिफेंड करते हैं लेकिन उन पर अमल आफिसर्स करते हैं । इसमें हमको बड़ी परेशानी होती है । जैसा कि ठाकुरदास जी ने कहा कई दफा एश्योरेंस दिये जाते हैं पर जब उन पर अमल नहीं होता तो उन पर हमको भरोसा नहीं होता । कभी कभी ऐसा होता है कि इस मामले में अलग अलग मुहकमे अलग अलग तरीके से काम करते हैं । एक मिनिस्टर एश्योरेंस देता है, दूसरा मिनिस्टर एश्योरेंस नहीं देता । और जब अलग अलग मुहकमे काम करते हैं तो वे बिना कोआर्डिनेशन के काम करते हैं । हैल्थ मिनिस्टर ने हमको बहुत बार एश्योरेंस दिये कि लोगों के मकान नहीं गिराये जायेंगे लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में एक और आथारिटी बनी है जिसका नाम है दिल्ली लेंड एंड डेवेलपमेंट आथारिटी । इस अथारिटी ने जाकर पहाड़गंज में करीब दो सौ मकान गिरा दिये और हमने जब खुद जाकर तहकीकात की तो मालूम हुआ कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था । हम यह ६-७ साल से सजेशन दे रहे थे कि ऐसा न किया जाये । जिस वक्त हमने उन लोगों से पूछा कि तुमने नोटिस क्यों नहीं दिया तो उन्होंने बतलाया कि अगर हम नोटिस देंगे तो ये लोग अदालतों में जायेंगे इसलिए हमने नोटिस नहीं दिया । मैं ने उनसे कहा कि अदालतें तो हैं ही इसलिए कि लोग उनमें जायें । अगर आप चुपके से मकान गिरा देंगे तो कैसे काम चलेगा । न मालूम यह किस तरह का मुहकमा है । हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास गये, चीफ कमिश्नर के पास गये । तो डिप्टी कमिश्नर ने उनको दूसरी जगह जमीन दे दी । लेकिन दो तीन दिन बाद मालूम हुआ कि उस आथारिटी ने वहां पर भी जाकर मकान गिरा दिये । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ मुहकमों में कोआर्डिनेशन हो । हमको अभी तक ठीक तरह नहीं मालूम कि स्लम क्लियरेंस की डेफीनीशन क्या है । हमारे यहां बहुत वरसों से यह समझा जा रहा है कि स्लम क्लियरेंस का मतलब शायद जगह को साफ करने से है और जो आदमी वहां रहते हैं शायद उनके लिए प्रोग्राम यह है कि उनको आंखों से ओझल कर दिया जाये और ऐसी जगह रखा जाये कि जहां उनको कोई देख न सके । हम लोगों ने पिछले बहुत वर्षों से यह कोशिश की कि हकूमत इस बात को महसूस करे कि स्लम-क्लीयरेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जमीन को साफ किया जाय, उस की डेवेलपमेंट की जाय, बल्कि उस का मतलब यह है कि वहां के रहने वालों को अच्छे मकान दिए जायें । उन लोगों के लिए मकानों का जो प्रोग्राम बनता है, वह भी बहुत टेढ़ा होता है । मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि अब एक नई बात शुरू हुई है । हमारे यहां कमेटीज़ बनती हैं, लेकिन जिस तरह स्लम-क्लीयरेंस के वक्त उन इलाकों में रहने वाले विक्टिम हो जाते हैं, उसी तरह उन कमेटीज़ में काम करने वाले पार्लियामेंट के मेम्बर भी विक्टिम

हो जाते हैं। जिस तरह हाउस ग्राफ़ लार्ड्ज में ग्रपनी मर्जी का काम करवाने के लिए लार्ड्ज क्रीएट किए जाते थे, उसी तरह जिन मेम्बरों की मुखालिफ राय होती है, उन को ड्राप कर दिया जाता है। दूसरी कमेटी बना दी जाती हैं ग्रौर वही मसले उन के सामने रख कर तय कर दिए जाते हैं। ग्राज हमारे ग्रानरेबल होम मिनिस्टर के सामने वह मसला है। हम चाहेंगे कि इन सब बातों पर गौर कर के वह इस समस्या का कोई उचित ग्रौर स्थायी हल निकालें। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ग्रभी चमारों का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में मैं रिक्शापुलर्ज ग्रौर कुम्हारों का जिक्र करना चाहती हूं। बदकिस्मती से दिल्ली में कुम्हार मिट्टी के मटके बनाते हैं। ग्रभी उन्होंने रेफ्रेरीजरेटर बनाने की कोशिश नहीं की है। दिल्ली की गरीब जनता ग्रभी तक चवन्नी का मटका ले कर ठण्डे पानी का गुजारा करती है। उन के यहां ग्रभी कूलर ग्रौर रेफेरीजरेटर नहीं ग्राए हैं। ग्रगर हम इस तरफ तवज्जह न दें ग्रौर उन लोगों को शहर से दूर दूर फैंक दें तो सिर्फ यही नहीं होगा कि वे लोग मटके बेचकर रोजगार नहीं कर पायेंगे, बल्कि दिल्ली की गरीब जनता को ठण्डा पानी भी नहीं मिलेगा। ग्रभी ठण्डा पानी तो मिलता है—चाहे वह जांडिस वाला ही हो—लेकिन फिर तो वे उससे भी महरूम हो जायेंगे।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हम ने लिखित रूप में कोई व्यवस्था नहीं की तो यहां के बेशुमार रिक्शा-पुलर्ज ग्रौर टांगे वाले बहुत दूर फैंक दिए जायगे। यह नजर ग्राता है कि उन को छः छः, सात सात मील दूर फैंकने की कोशिश की जा रही है। मैं ग्राप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि हम चाहते हैं कि नई दिल्ली के कोने कोने में टैक्सी-स्टैंड बन जाय। हम चाहते हैं कि हम टेलीफोन करें, या हम या हमारा नौकर बाहर निकले, तो फौरन एक टेक्सी हमारे सामने ग्रा जाय। लेकिन इस के मुकाबले में रिक्शा-पुलर्ज ग्रौर टांगे वालों को हम शहर से कई मील दूर फैंक देना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि ग्रगर हम ने उन झिलमिल ताहिरपुर, शाहदरा या निजामुद्दीन भेज दिया, तो क्या वे यहां पर ग्रा कर ग्रपना रोजगार कमा सकेंगे या लोग उन से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये सब बातें साफ हो जानी चाहिएं। यह नहीं है कि हम ने इस पुराने नजरिये में तब्दीली नहीं देखी है। हम ने वह तब्दीली देखी है—ग्रौर उस की हम को खुशी है। हम ने हैल्थ मिनिस्ट्री के नजरिये में भी तब्दीली देखी है ग्रौर दूसरे महकमों के नजरिये में भी तब्दीली देखी है, लेकिन चूंकि सब बात लिखित रूप में नहीं होती है, इस लिए उन को बदल दिया जाता है। दिल्ली में एक नए ग्राफिसर—डिप्टी कमिश्नर—ग्राये हैं ग्रौर वह बहुत मुनासिब ग्रादमी हैं, पर इस बात के सिलसिले में उन के नजरिये में फ़र्क है। जो जो एशोरेन्स दिए गए, वह उन से वाकिफ नहीं हैं। दिल्ली में फ्लड्ज ग्राए, तो मैं ने उन से दरख्वास्त की कि इस इलाके का पानी निकलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने जगह जगह से पानी निकलवाने के लिए कह कह कर तंग कर रखा है, यहां पर तो दर्जनों बस्तियां ऐसी हैं, जो कि स्लम-क्लीयरेंस स्कीम के मातहत ग्राई हैं, हम यह सब कैसे करें? तब मैं ने कहा कि ग्रगर ग्राप पानी नहीं निकालते हैं, तो जो केम्प लगा रखे हैं, उन को दो चार दिन ग्रौर रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि यह भी नहीं हो सकता है। फिर मैं ने उन से कहा कि ये लोग कहते हैं कि उन को दूसरी जगह भेजना है, वहां ग्राज ही भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि यह भी नहीं हो सकता है, जब इन की बारी ग्रायेगी, तब भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम नहीं जानते कि इन का क्या होगा, ये हमारी मरजी के खिलाफ वहां बैठे हैं। मैं ग्रर्ज करना चाहती हूं कि यहां पर एशोरेंस दी गई थी ग्रौर यह कायदा बना हुग्रा है कि

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अगर किसी को हटाया जाता है, तो उस को दूसरी जगह दी जाती है, लेकिन यह बात उन की समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि इन लोगों की आदत बिगड़ गई है। बार बार यह सवाल हमारे सामने आते हैं। मुनासिब यही होगा कि इन को कोई कानूनी शक्ल दी जाय और उन को रहने के लिए मुनासिब जगह दी जायें।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, हम इस का सचमुच स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे यहां हजारों लोग इस तरह के हैं, जो इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं। मालिक मकान उन मकानों की मरम्मत नहीं करते हैं और जान-बूझ कर उन को गिरा देना चाहते हैं ताकि बाद में वे ज्यादा किराया वसूल कर सकें। इस के बाद एक दूसरा बिल हमारे सामने आयेगा। उस के सम्बन्ध में आप को मालूम होगा कि यहां के मकानों के किरायेदारों में हाहाकार मचा है। एक वक्त ऐसा था, जब कि यहां पर जमीन बहुत सस्ती थी और जमीनों के मालिक खुद लेजा लेजा कर लोगों को वहां पर आबाद करते थे। आज पचास हजार के करीब लोग ऐसे हैं, जिन को दिल्ली में अमलेदार कहा जाता है, जोकि ऐसी जमीनों पर बैठे हैं और आज कानून उन के खिलाफ पड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कि उन को लेजा लेजा कर, कौड़ियों का किराया लेकर, जबर्दस्ती, खुशामद से वहां पर आबाद किया गया था। आज दिल्ली में जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है और लोग बड़ी रफ्तार के साथ जमीन और मकान बेचना चाहते हैं। नए मकानों पर किराये का कानून लागू नहीं होता है, इस लिए लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि हम पुराने मकानों से किरायेदार को निकाल दें और बाद में पगड़ी लें और किराये को बढ़ा कर नए किरायदार को दें। स्लम्ज में जो किरायेदार रहते हैं उन को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, मैं उस का स्वागत करती हूं। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि जान-बूझ कर वे स्लम्ज बनाई गई हैं और यह कोशिश की जाती है कि उन की कोई मरम्मत न कराई जाय और उन की हालत ठीक न रहे और किरायेदार को निकाल दिया जाय। हम ने बहुत अच्छी तरह से इन सब बातों पर गौर किया है। मकान मालिक को इनसेन्टिव देने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस का जो दुरुपयोग होता है, वह कोई छिपी बात नहीं है। तेरह, चौदह पंद्रह वर्षों से अनगिनत वर्षों से—हम किरायेदारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन के हितों को हिफाजत की जाय और स्लम-क्लीयरेंस के बहाने से उन को उन के मकानों से बाहर न निकाल दिया जाय।

इसी तरह से जमीन एक्वायर करने और स्लम-एरिया डिक्लेयर करने की व्यवस्था का भी हम स्लम-ड्वैलर्ज की तरफ से स्वागत करते हैं। दिल्ली में और उस के आस-पास बेशुमार जमीन ऐसी पड़ी हुई हैं, जहां पर मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर झोंपड़ियां पड़ी हुई हैं और उन जमीनों के मालिक अपनी जगह का बड़ा किराया वसूल करते हैं। उन जमीनों में पहले बड़े खड्ढे थे, लेकिन आजादी आने के बाद, डेमोक्रेसी आने के बाद म्यूनिसिपल कमेटीज ने उन को भर दिया, जिससे उन की कीमतें बहुत बढ़ गईं। अब वे लोग कोशिश करते हैं कि पुराने रहने वालों को निकाल कर दूसरे लोगों को रखें और उन से ज्यादा किराया लें।

आखिर में मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह अर्ज करना चाहती हूं कि गवर्नमेंट का नजरिया बदल रहा है और उस का लक्ष्य समाजवादी ढांचा कायम करने का है, लेकिन अगर उस के इम्पलीमेंटेशन की तरफ ध्यान न दिया गया और आनरेबल मिनिस्टर ने इधर तवज्जह न की, तो वह समाजवादी ढांचा सिर्फ समाजवादी झांसा नजर आयगा। मैं चाहती हूं कि इस कानून के इम्पलीमेंटेशन में भी गरीब लोगों का ध्यान रखा जाय, जिस

तरह कि इस कानून को बनाते वक्त उन का ध्यान रखा जा रहा है ।

मैं ग्रानरेबल मिनिस्टर से कहूंगी कि वह जल्द से जल्द इस कानून का इम्पलीमेंटेशन अच्छी तरह से शुरू कर दें ।

**श्री नवल प्रभाकर** : सभापति महोदय, गन्दी बस्तियों को साफ करने के सम्बन्ध में जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, मैं उस का स्वागत करता हूं । उस का मैं इस लिए भी स्वागत करता हूं कि इन गन्दी बस्तियों में गरीब आदमी रहते हैं, इस लिए भी स्वागत करता हूं कि उन में पिछड़े वर्ग के लोग और ज्यादातर हरिजन लोग रहते हैं और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से हमारे मन में जो आशा थी, वह आज पूर्ण हुआ चाहती है। कुछ शंकाएं इस सम्बन्ध में मेरे मन में हैं और उन के सम्बन्ध में मैं आप से कुछ कहना चाहता हूं ।

इस से पूर्व भी मैं ने कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि यदि आप वस्तुतः गन्दी बस्तियों को साफ़ करना चाहते हैं, तो उन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आप कुछ आकर्षक सुझाव दीजिए, उन के सामने कुछ आकर्षक बातें रखिए । जैसा कि मैं ने पिछली बार भी कहा था, दिल्ली के आस-पास बहुत सी जगहें खाली पड़ी हुई हैं और वे इम्परूवमेंट ट्रस्ट के पास हैं । पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया था कि १६३ एकड़ भूमि आज भी इम्परूवमेंट ट्रस्ट के पास है और वह भूमि दिल्ली के आस-पास है । मैं ने उस वक्त भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली इम्परूवमेंट ट्रस्ट अपनी बनिया बुद्धि को छोड़ कर इस १६३ एकड़ भूमि का, जो कि नजदीक से नजदीक हो, एक नक्शा बनाए और आवश्यक कार्यवाही कर के लोगों को सुविधायें दे, तो उस भूमि में बहुत आदमी आबाद हो सकते हैं ।

मैंने देखा है कि जब यह स्लम्स का मामला आता है, गंदी बस्तियों का मामला आता है तो कुछ खास खास जगहों के बारे में ही अखबारों में चर्चा रहती है और उन्हीं के सम्बन्ध में आये दिन विवाद भी होता है और यहां हाउस में भी उन्हीं का नाम लिया जाता है । लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि कि बाग कड़े खां, बापानगर और मोतीनगर आदि भी ऐसी बस्तियां हैं जिनकी कि तरफ़ कोई देखता भी नहीं है और जिनको कि कोई स्लम्स नहीं मानता है । मेरा यह दावा है कि वहां पर जो आदमी रहते हैं जो लोग वहां पर रहते हैं वे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई लोग हैं और वे वहां पर इतनी बुरी अवस्था में रहते हैं कि पशु भी उतनी खराब अवस्था में न रहते होंगे पशुओं से भी बदतर उनकी अवस्था है । मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे भी स्लम्स हैं और उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास जो काफी ज़मीन है उसको ले सकते हैं और ज़मीन लेकर के उस को डेवलप कर सकते हैं और उसमें सुधार करके और विकसित करके उसमें मकानात बना सकते हैं, मकान न बनायें तो उनको प्लाट्स सस्ती से सस्ती कीमत पर दे दें और उन प्लाट्स को ले करके जो हमारी लो कोस्ट हाउसिंग की योजना है उसके अन्तर्गत उनको कर्जा दें ताकि वे मकान बना सकें और इस तरह गंदी बस्तियों को साफ किया जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा कि हमें यह चाहिए कि हम उन लोगों को जिनको कि स्लम्स को सफ़ाई के वास्ते हटाते हैं, यह कोशिश करनी चाहिए और उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि जहां तक हो सकेगा आप लोगों को यहीं पर

[श्री नवल प्रभाकर]

दुबारा नये मकानों में बसाया जायगा या नजदीक ही बसाया जायेगा तब तो ठीक रहेगा और अगर वहां पर जाकर उनको यह नोटिस दिया जायगा कि तुम को यह बस्ती फौरन खाली करनी पड़ेगी तो बेकार में दूसरी राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को गलेबाजी करने का मौका मिलेगा और वे उनमें चिल्लाते फिरेंगें कि देखो किस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट के अन्दर तुमको सताया और तबाह किया जा रहा है और हम लोगों को जो कि उनसे कहते रहते हैं कि सरकार तुमको तबाह नहीं करना चाहती बल्कि वह तो तुमको ऊपर उठाना चाहती है, उनको बड़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम तो उनको वहां से यह कह कर उठवाना चाहते हैं कि भाई आज आप लोग इन जगहों को छोड़ कर चले जाइये, यहां पर सफाई होकर जब मकान बनेंगे तब आपको इनमें दुबारा बसाया जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे भिखारी वर्ग के लोग हैं उनके साथ इस तरह की सहानुभूति का रवैया रख कर यह काम करना चाहिए। जिस तरह एक अनुभवी डाक्टर मरीज को तसल्ली देता है कि वह शीघ्र ही अच्छा हो जायगा और इस तसल्ली से उसकी आधी बीमारी वैसे ही निकल जाती है, उसी डाक्टर की तरह का रवैया, मेरी प्रार्थना है कि हमारे अधिकारी वर्ग के लोग उनके प्रति अख्त्यार करें। गरीब आदमी अधिकारी वर्ग की सहानुभूति चाहते हैं और जब तक उनके प्रति यह सहानुभूति नहीं दिखलायेंगे तब तक यही होगा जैसे कि हमने देखा कि मोतीनगर में एक दर्जन या दो दर्जन पुलिस वाले लेकर पहुंच गये और वहां जाकर आर्डर दे दिया कि यहां से निकल जावो और उस निकालने के सिलसिले में झगड़ा फसाद उठ खड़ा होता है और हमने मोतीनगर में देखा कि दूसरी पार्टी के लोगों ने उन भाइयों को भड़काया और उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं। और आज भी वह मामला अदालत के अन्दर चल रहा है। लेकिन अगर उनको अच्छे तरीके से कह दिया जाता कि आप लोग यहां से उठिये, इस जगह हमें अस्पताल बनाना है, अमुक जगह पर आपको लेजाकर बसायेंगे तो वह काम बहुत ही सरलता से हो सकता था। इस तरीके का अगर हम एटीच्यूड रक्खें तो मैं नहीं समझता कि स्लम्स् क्लिअरेंस के अन्दर जो अनेकों कठिनाइयां और दिक्कतें हैं, वे रफा हो सकती हैं।

मैं कह रहा था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपनी वह जगह दे और उसके अन्दर उनको बसाया जाय। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आसपास जो बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं उन को ले लिया जाय और छोटे छोटे प्लाट्स बना लिये जायें और उन प्लाट्स पर मकान बनाने के वास्ते गवर्नमेंट अपनी तरफ से सबसिडी दे कि जो स्लम्स् ऐरिया के रहने वाले भाई हैं वे अगर यहां पर आना चाहते हैं तो आयें और मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत लोग तो ऐसे होंगे जो कि यह चाहते हैं कि हमारे अपने निजी मकान हों, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हमारे विस्थापित भाई हैं उनके लिए एक स्कीम बनाई गई, तिहाड़ जो यहां से लगभग ८, ६ मील पड़ता है, वहां के लिए उनको कहा गया कि आपको १००, १०० गज जमीन दी जायगी और मकान बनाने के वास्ते आपको ५००, ५०० रुपया दिया जायगा, तो लोग उधर आकर्षित हुए, उन्होंने सोचा कि १०० गज जमीन हमें मिल रही है, साथ में ५०० रुपया हमको मिल रहा है, बल्कि उनको ५३० रुपया दिया जाता था, तीस रुपया तम्बू लगाने के लिए दिया जाता था और ५०० रुपया इस वास्ते दिया जाता था कि कोई छोटा मोटा मकान खड़ा कर लें, तो उस तरीके की कोई आकर्षक स्कीम हो तो मैं समझता हूं कि लोग उधर खिचेंगे और मैं समझता हूं कि आज दिल्ली के अन्दर हर आदमी के दिमाग में

यह बात है कि उसका एक छोटा मोटा घर होना चाहिए और उस घर को वह बनाया चाहता है । जैसा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि जो जमीन है उसको गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो उसमें जो ६० गुना मुआविजा देने की बात है, मैं कहता हूं कि वह पर्याप्त है क्योंकि सैंकड़ों साल से जिसने किराया लिया है और जो जमीन उसके बाप दादा ने एक आने गज भी न खरीदी होगी, बहुत सी दिल्ली की जो पुरानी जगहें हैं, मेरे खयाल में दो पैसे गज के हिसाब से खरीदी गई होगीं, उनका अगर आज २ रुपये गज भी मिलता है तो ३२ गुना ज्यादा कीमत उसको उस जमाने के हिसाब से मिलती है और उसके परिवार के कितने ही लोगों का गुजारा आज तक ब्याज से ही चलता रहा है । स्लम्स् क्लिएरेंस का काम बहुत अच्छा है और मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन जो लोगों के उठाने का ढंग है वह सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और यदि उनको समझा बुझा कर उठाया जायगा तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई दिक्कत नही आने वाली है । अजमेरी गेट और जमना बाजार के अलावा भी दिल्ली में बहुत अधिक स्लम्स् है जिनको कि स्लम्स् नही माना जाता । बाग कड़े खां की बाबत मैं आपको बतलाऊं कि बरसात के दिनों में जब मैं वहां पर गया तो एक फिट काली कीचड़ वहां पर थी जिसमें से कि बहुत सड़ी बू आ रही थी और ऐसी गंदी हालत में छोटी छोटी कोठरियों में दस दस और बारह बारह आदमी रहते हैं और उनकी और कोई ध्यान नहीं देता है । आप ऐसी गंदी जगहों को स्लम्स् ऐरिया फौरन डिक्लेयर कर दीजिये । सरकार एक सर्वे कराये और सर्वे कराने से यह प्रतीत हो जायगा कि कितने आदमी वास्तव में गंदी 'बस्तियों में हैं, और कितने आदमियों के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है । मान लीजिये कि हमारे यहां दिल्ली में ४ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो कि गंदी बस्तियों में रहते हैं अब उससे यह अन्दाजा लगा लिया जाय कि एक परिवार में यदि ५ व्यक्ति होते हैं तो उसके हिसाब से कितने घर हमें चाहिए और उसके लिए कितनी जगह हमें चाहिए, वह सब हमें करना चाहिए ।

अन्त में मैं एक बात कह कर बैठ जाता हूं कि वह तो ठीक है कि हमें गंदी बस्तियों में से वहां के रहने वालों को बाहर निकालना है लेकिन उसके साथ में मैं यह जरूर चाहूंगा कि उनकी रोजी और रोटी का प्रबन्ध भी हो जाना आवश्यक है ।

यह एक बहुत बड़ी बात है । हम ने कुछ बस्तियों में, जो कि बाहर को बस्तियां हैं, जा कर देखा, जैसे लाजपतनगर वगैरह में, जिन में आदमी चले भी गए हैं, लेकिन उन के पास कोई रोजगार नहीं है । होता यह है कि वहां जा कर रह रहे हैं और गन्दी बस्तियों में काम करने के लिए आकर बैठ जाते हैं । यहां वास्तव में गन्दी बस्तियां बहुत ज्यादा हैं । अगर उन की सफाई करनी है तो वहां पर रोजगार करने वाले लोगों के लिए दूसरी जगह पर रोजगार का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है । मान लीजिए कि आप शहादरा की तरफ कोई कारखाना खोलना चाहते हैं या नई दिल्ली से आगे चल कर ओखला की तरफ खोलना चाहते हैं, तो यहां की मजदूर बस्तियों को वहां पर ले जा कर बसाएं और उन में हर तरह के लोगों को बसाएं । अगर आप एक ही तरह के लोगों को वहां ले जा कर बसा देंगे तो काम नहीं चलेगा । इस सम्बन्ध में दिल्ली की रीजनल अथारिटी ने भी सोचा है । अब कुछ इस तरफ विचार किया जाने लगा है, इस का मैं स्वागत करता हूं । मान लीजिए कुछ लोग हजामत बनाने का काम करते हैं, नाई हैं, कपड़ा धोने वाले धोबी हैं, आप उन लोगों के लिए कुछ प्लाट्स अलग रख सकते हैं । जहां पर सब लोगों को प्लाट्स दिए जाते हैं वहां पर इन लोगों का भी ध्यान रखा जाए तो काम ज्यादा ठीक हो सकेगा ।

[श्री नवल प्रभाकर]

मैं समझता हूं कि अगर सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी तो लोगों का कल्याण होगा और वस्तुतः जो लोग बहुत दिनों से आशा लगाए हुए थे वह इस का स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर इस तरह से किया गया तो वास्तव में उन लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे और वह सरकार को धन्यवाद देंगे ।

**श्री प० ला० बाल्पाल** (गंगानगर—झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय सभापति महोदय, जो विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है, मैं उस का स्वागत करता हूं । लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि गन्दी बस्तियों के सुधार के नाम से गरीब मजदूरों को उठा कर दूर फेंक दिया जाए । मैं आज पांच वर्ष से दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का रवैया देखता आ रहा हूं । यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भीषण परिस्थितियों में रह रहे हैं, जिन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जहां से वह आए हैं वहां भी उन का कोई घर नहीं, इधर भी घर नहीं, मैं उन को खानाबदोश भी नहीं कह सकता । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हम बातें करते हैं कि समाजवादी व्यवस्था के आधार पर देश का निर्माण किया जाए, लेकिन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का रवैया यह है कि गरीब आदमियों को उन की जगहों से उठा कर जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पैसों को खर्च कर सकते हैं, उन को ला कर बसा दिया जाए । यह सोचने की बात है कि जिन लोगों ने आप के इन भव्य भवनों का निर्माण किया, आप का रिजर्व बैंक बनाया, आप की पार्लियामेंट का भवन बनाया, सेक्रेटेरियट बनाया, और गवर्नमेंट के ही नहीं दूसरे हजारों मकानों का निर्माण किया और कर रहे हैं, उन गरीबों के लिए आज रहने के लिए झोंपड़ी तक नहीं है । आज हम गन्दी बस्तियों का सुधार करना चाहते हैं, मेरे पूर्व वक्ता श्री नवल प्रभाकर जी ने सुझाव दिया कि सरकार की ओर से ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ वे लोग स्वयम दें, और उस की जगह पर उन लोगों को अच्छे मकान बना दिए जाएं ।

इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि जहां तक मकान बनाने का सवाल है, लोक सभा के अन्दर एक ऐसा विधेयक लाया जाए, जिस प्रकार से सरकार ने और बहुत से सुधार के कार्य किए हैं, अर्थात् राजाओं और जागीरदारियों का राष्ट्रीयकरण किया । मेरी प्रार्थना है कि मकानों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए । आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास पचासों मकान हैं, जो कि खुद की प्रापर्टी बनाकर, उसने होटल वगैरह खोल लिया है और अपने मकानों को किराए पर चलाता है । वह कुछ काम धंधा नहीं करता, उसी को आमदनी पर निर्भर करता है, उसी से खाता पीता है, आखिर उस पर रोक क्यों न लगाई जाए ? ऐसे मकानों पर नियंत्रण किया जाए और उनको सरकार अपने हाथ में ले ले । आपको मालूम है कि दिल्ली के अन्दर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन किसी गरीब आदमी को जो कि आठ दस मील से काम करने के लिए यहां आता है, यहां पर किराये पर मकान नहीं मिल सकता है । आपको चाहिए कि इसके लिए वर्तमान कानूनों में ही कोई संशोधन करें या नया विधेयक लायें और इस प्रकार के फालतू मकानों के बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए, और जिन के पास पहले से ही ज्यादा मकान मौजूद हैं उनका उपयोग सरकार खुद करे ।

आज मैं देखता हूं कि दिल्ली में राजस्थान से आए हुए कोई तीन लाख मजदूर हैं, इन मजदूरों की हालत बहुत बुरी है । सुधारवाद का नाम ले कर उनमें से किसी को तो तेहाड़ भेज दिया जाता है, और किसी को तीमारपुर । वह लोग दिल्ली के अन्दर मजदूरी करने के लिए दस बारह मील चल कर आते हैं । इधर तो सर्दी के अन्दर काम करते हैं और उधर धूप में । इतनी मेहनत कर के और कष्ट उठा कर

यह बेचारे मजदूर रोटी कमा पाते हैं और किसी तरह से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। आज हम लोगों के सामने उनकी समस्या है। ऐसे मजदूरों के लिए कहीं पर नजदीक ही मकान बनाए जाने चाहिएं। इसकी ओर ध्यान देना सरकार का काम है। उन मजदूरों के लिए न कहीं टट्टी का इन्तजाम है और न पानी का इन्तजाम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बागीचों में पानी फालतू बहता रहता है। इधर गरीबों की कतार लगी रहती है, वह लोग बाल्टियां लिए खड़े रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। एक तरफ तो अमीर लोगों के रहने का ढंग है और दूसरी ओर उनकी जिन्दगी का ढंग है सास बहू एक साथ रहती हैं और दोनों के जच्चाखाने भी उसी झोंपड़ी में होते हैं। आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सदन के अन्दर जो यह विधेयक आया है कहीं उससे ऐसा न हो कि गरीबों को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाए और उन इलाकों में फिर वह न आने पाएं और उस जगह को पैसे वाले आदमियों को दे दिया जाए। अभी साउथ एवेन्यू के अन्दर मेरे पास कई धोबी आये और कहने लगे कि हम कम से कम चार पांच वर्ष से यहां पड़े हुए हैं, अब हम को यहां से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। बताइए, अगर हमें बाहर फेंक देंगे तो किसके कपड़े धोएंगे और क्या खाएंगे? यह सोचने की बात है। यह पुनर्वास मंत्रालय का काम है। आज देश को आजाद हुए ६ वर्ष हो गए, लेकिन ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनकी झोपड़ी भी नहीं बन पाई है। आप को ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए। आज ऐसे लोग हैं जिनके पास न झोपड़ी है और न कोई और ठिकाना है, अगर आज आप उनको उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे तो उनका रोजगार और धंधा भी खत्म हो जाएगा। आज हमारे सामने इस प्रकार की समस्या है।

मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता, केवल यह चाहता हूं कि आप लोग इस ओर ध्यान दें और इन मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिनसे उनके जीवन का सुधार हो सके। ऐसा वह न समझें कि उनके घरों को छीन करके दिल्ली का सुधार हो रहा है, बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं और उसमें सरकार को हिस्सा मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीबों की बनाई है और गरीबों और अमीर दोनों के लिए जो उचित हो वह होना चाहिए।

**Shri Balakrishnan** (Erode—Reserved—Sch. Castes): I welcome this Bill which has been brought by the Government to improve the lot of the poor people, who are living in the slums and I take this opportunity to thank the hon. Home Minister who has got more sympathy and affection towards the poor people, especially the Harijans. You know, Sir, most of the people who are living in the slums are Harijans. I may inform the House that there are about 84 *Cheris* in Madras. Fortunately or unfortunately, the slums—*Cheris*—are in the heart of the cities and twons. So, naturally I fear that when the law is given effect to, the rich people may take advantage of it to evict the Harijans, who live in the heart of the town. I remember that some 25 years back in my place, the rich people wanted to evict the Harijans, but since the law was not there they could not succeed. Now the law has come. So the rich people may take advantage of it for evicting the Harijans, because they are living in the heart of the town. I would, therefore, request the hon. the Home Minister to see that such things do not happen.

Then I wish to say something about the conditions of the slum living people. Fortunately, I had the privilege of receiving our hon. Deputy Home Minister when he visited our place, and he was kind enough to visit so many places in my *taluk*. He visited a village called Kariampatti, and he saw a hut there eight feet long and six feet broad. In that hut about

[Shri Balakrishnan]

twelve persons are living. But in many places there is no separate hut even; the cattle and human beings have to live together. Such are the conditions of the slum people. To my mind, in our country, in our Nava Bharat, we should not allow slums to exist at all. I am, therefore, glad that Government has taken steps for improving the lot of the poor people.

In this Bill I find that provision is not made to provide alternative houses before the poor people are evicted from the slums. That is a very important point. I would beg of the hon. the Home Minister to see that before these poor people are evicted from the slums, alternative houses are given to them. Otherwise they will suffer very much, and they will curse us. I request the hon. the Home Minister to kindly have this point in mind, because they cannot immediately construct the houses. It is, therefore, the duty of the Government to see that these people are given alternative houses when they are evicted.

Another point I wish to make is this. You are going to give them notice to re-model the houses according to the modern amenities and so on. But how can they construct those unless they have got the money? You know that the slum-living people are poor people. Unless they are given some financial aid, how can they construct the houses? If you compel them, how can they construct them? So, I request the hon. the Home Minister to give them financial aid to improve their houses.

I would also like to suggest that provision should be made in this Bill to start a Financial Corporation, that is, a Slum Improvement Corporation, and the poor people should be given loans on easy instalment basis to reconstruct their houses. Otherwise they will suffer.

With these few words, I request the hon. the Home Minister to kindly consider the points I have placed before him.

**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इस प्रकार के सामाजिक बिलों के लाये जाने के बारे में मैं बहुत ही कोशिश में था ।

हमारे देश में मकानों की समस्या बहुत ही जटिल है । मैंने दूसरे देशों में भी इस समस्या के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और इस तरफ ध्यान दिया है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां तक गन्दी बस्तियों की सफाई का सम्बन्ध है, हम सब इस बात से सहमत हैं कि इन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिये । लेकिन हमें समझ लेना चाहिये कि गन्दी बस्तियां पैदा कैसे होती हैं, वे बनती कैसे हैं । हमें इस बात का भी खयाल रखना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि एक तरफ तो हम गन्दी बस्तियों को साफ करें और दूसरी तरफ गन्दी बस्तियां बनती जायें । साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिन गन्दी बस्तियों को हम साफ करें, वहां पर रहने वालों को फायदा पहुंचे, अगर आपने गन्दी बस्तियों को तो खत्म कर दिया लेकिन वहां पर रहने वालों के लिए कोई खास प्रबन्ध नहीं किया तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा और वे लोग किसी दूसरी जगह जा कर गन्दी बस्ती बसा लेंगे ।

मैं पांच छः सालों से बराबर इस बात पर जोर देता रहा हूं कि सरकार की कोई हाउसिंग पालिसी नहीं है । बगैर इस तरह की पालिसी बनाए आप किस तरह से लोगों को घर दे सकेंगे । इंगलैंड में जहां पर कि कंजरवेटिव गवर्नमेंट है, उसकी भी नीति यही है कि वहां पर कोई जमीन को बेच नहीं सकता है । वहां पर जो भी जमीन तैयार की जाती है, जिस जमीन को भी सुधारा जाता है, वह केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन के पास कोई मकान

नहीं है । हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यह देखा जाता है कि जो ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा करे उसी को जमीन दी जाए, फिर चाहे उसके पास १० ही मकान क्यों न हों । आप देखें कि जब से आपने देहली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की है सन् १९३७ में, तब से उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, उसने बहुत से मकानात के लिए जमीन भी आज अपने पास रखी हुई है, लेकिन उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि इसी शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर मकान के हैं, कितने लोग हैं जो दीवारों के कोनों में, और सड़कों के किनारों पर पड़े रहते हैं । आज उनकी फिक्र करना, ऐसा मालूम होता है, उसका फर्ज नहीं है । उसका काम तो यह है कि मान लीजिये कि उसने २०० प्लाट डिवेलेप किए हैं, तो वह उन सब को एक साथ नहीं बेचेगा बल्कि धीरे धीरे बेचेगा क्योंकि उसे फिक्र है कि कहीं एक साथ बेचने से भाव गिर न जाए । हालांकि हम कहते हैं कि हम सोशलिस्टिक (समाजवादी) ढांचे पर संगठन करना चाहते हैं लेकिन हम कार्य इस तरह के करते हैं । हमने एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना रखा है जिस का मकसद यह है कि समाज का एक वर्ग समाज के दूसरे वर्ग से नाजायज फायदा न उठा सके । यह जो ऐक्ट है यह तो सोशलिस्टिक अथवा समाजवादी है लेकिन हमारी जो लैंड पालिसी अथवा जमीन सम्बन्धी नीति है कि जमीन सब से ज्यादा दाम देने वाले को दी जाए, वह केपिटलिस्टिक अथवा पूंजीवादी है । इसका नतीजा यह होता है कि जो आदमी ज्यादा दाम दे कर मकान बनाता है, चाहे किराये पर देने के लिए बनाता है या अपने रहने के लिए, वह जब उसे किराये पर उठाता है तो पगड़ी लेकर, नजराने की शक्ल में रुपया लेकर, उठाता है । इसका कारण यह है कि वह जो रुपया लगाता है वह केवल सेवा करने की गर्ज से ही नहीं लगाता है बल्कि मुनाफा हासिल करने की गर्ज से लगाता है । इंगलैंड में अगर एक आदमी के पास एक मकान है तो वह दूसरा मकान नहीं बना सकता है क्योंकि वहां कायदा यह है कि मकान उसी को बनाने की इजाजत मिलेगी जिस के पास कोई मकान नहीं है । हमारे यहां यह कायदा नहीं है । हमारे यहां एक आदमी चाहे जितने मकान बना सकता है । जब ऐसी बात है तो किस तरह से ये बतिस्यां सुधरेंगी, किस तरह से लोगों को बसाया जाएगा, यह समझ में नहीं आता है । हमने देखा है कि अजमेरी गेट में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी शानदार इमारतें बनी हैं जिन को देखने से हमें बम्बई की याद आए बिना नहीं रहती । इन इमारतों के बनने से जो आदमी उजड़े, जो बरबाद हुए वे कहां गए हैं यह शायद आपको पता नहीं है । उन्होंने फिर गन्दी बतिस्यां बना ली हैं जिन के बारे में आपको पता नहीं होगा । वे दिल्ली के इर्दगिर्द ही हैं । यह तो वैसी ही बात है कि जैसे घरों का कूड़ा उठाकर के सड़क पर डाल दिया जाता है फिर उसको सठाकर के कहीं इधर उधर फेंक दिया जाता है । तो मैं यह कह रहा था कि आज इस बात की इजाजत है कि अगर किसी के पास दो चार मकान हैं, किसी के पास पैलेशियल मकान हैं अगर वह चाहे तो और भी जमीन खरीद कर और मकान खड़े कर सकता है और उनको खड़ा करने के लिये उसे मैटीरियल भी मिल सकता है । यह सब ठीक नहीं है । इस वास्ते सब से जरूरी चीज यह है कि आज हम कोई हाउसिंग पालिसी बनायें । आज कोई छः बरसों से मैं इसी बात पर जोर देता आया हूं । यही नहीं दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भूतपूर्व चेयरमेन, मिस्टर सप्रू, जो कि इस पालिसी के बड़े हिमायती थे जब वह यूरोप गए और वहां पर इंगलैंड, वेस्ट जर्मनी, इत्यादि देशों का उन्होंने दौरा किया और लौट कर उन्होंने एक रिपोर्ट दी, शायद जुलाई १९५४ में दी, आज तक हमें मालूम नहीं है कि उस पर क्या कार्रवाई की गई है । उन्होंने साफ साफ कहा था कि यूरोपियन मुल्कों में कहीं भी कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं बेचती । आप

(श्री मोहन लाल सक्सेना)

खयाल कीजिये कि जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचेगी तो दूसरे लोग क्यों नहीं ज्यादा दाम पर बेचेंगे । जब तक गवर्नमेंट की जमीन के बारे में यह पालिसी नहीं बदलती तब तक यह सवाल हल नहीं होगा ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले दिल्ली में पांच या छः लाख की आबादी थी । उतनी आबादी के लिए यह शहर बनाया गया था । नई दिल्ली तो सिर्फ जाड़े के मौसम में रहने की जगह थी और यहां लोग रहते थे और फिर चले जाते थे । इसी वास्ते ये मकान एक मंजले बनाये गये और दूर दूर बनाये गये और एक एक मकान के साथ एक एक दो दो एकड़ जमीन दे दी गयी। लेकिन ६ या ७ वर्षों से जो मैं इस मामले में जोर देता आ रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा । आज दिल्ली की आबादी १८ लाख से ज्यादा हो गयी है । इसलिए जो पालिसी पुरानी गवर्नमेंट ने उस वक्त के हालात के मुताबिक बनायी थी उसको हम आज भी जारी रखें इसके क्या मानी हैं ? जो एक मंजिले मकान हैं वे आसानी से थोड़ा खर्चा करके दो मंजिले बनाये जा सकते हैं । लेकिन ऐसा न करके सरकार दिल्ली के बाहर जाकर जमीन डेवेलप करती है और वहां पर काम करने वालों को रखती है । इन लोगों को रोज वहां से आने में कितना खर्चा करना पड़ता है उसका भी खयाल करना चाहिये, इसके अलावा सरकार को भी वहां नये सिरे से जमीन डेवेलप करने में कम खर्चा नहीं पड़ता । तो क्यों न हमारी स्कीम ऐसी होनी चाहिये कि दिल्ली में और दूसरे शहरों में जहां कि गन्दी बतिस्यां हैं, वहां पर आबादी का जोर कम हो । और साथ साथ जो जगहें हैं उनको पूरे तौर से इस्तेमाल किया जाये । बस्ती का दूर तक फैलाव करने में दिक्कत होती है, आने जाने के साधन जुटाने पड़ते हैं । लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ बनावें तो उसमें दिक्कत कम हो जाती है । इस वास्ते मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप गन्दी बस्तियों को हटाते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं कि जहां आपने नई बतिस्यां बनायी हैं उनमें भी गन्दी बतिस्यों का वातावरण पैदा हो गया है । जो मकान एक परिवार के रहने के लिए बनाये गये हैं आज उनमें दो दो और तीन ती परिवार रह रहे हैं । आप विनय नगर जैसी दूर की बतिस्यों में जिन लोगों को मकान देते हैं वे उनको दूसरों को उठा देते हैं और दूसरे क्लर्कों के साथ कहीं पास रहते हैं ।

कई बार कहा गया कि आप दिल्ली से कुछ दफ्तर हटा देंगे लेकिन मैं देखता हूं कि कोई दफ्तर नहीं हटाया जा रहा है बल्कि यहां पर और दफ्तर बढ़ते ही जाते हैं । हमेशा जब यह सवाल सामने आता है तो कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पांच छः बरसों से मैं देख रहा हूं कि वहां से कोई दफ्तर नहीं हटाया गया है बल्कि नये दफ्तर यहां बढ़ते ही जाते हैं । अगर आप रिजर्व बैंक की इमारत दिल्ली से आठ दस मील दूर बनाते तो उसमें काम करने वाले उसके आस पास रहते और वहां एक शहर बन जाता । लेकिन आपने वह इमारत नई दिल्ली में बना दी है । नतीजा यह होगा कि उसमें काम करने वाले भी उसी के आस-पास रहेंगे ।

जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि यह बतलाता है कि इस मामले में हम कुछ करने वाले हैं । लेकिन साथ ही साथ मुझे एक और खतरा मालूम होता है । वह यह कि जब कोई ऐसा कानून बन जाता है जिसमें गवर्नमेंट कुछ करने वाली होती है, तो लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं । यह मैं नहीं चाहता ।

यहां पर कुछ इश्योरेंसेज अथवा आश्वासनों की चर्चा की गयी और कहा गया कि उन पर अमल नहीं होता। मैं उन आदमियों में हूं जो कि यह चाहते हैं कि मिनिस्टरों की बात में कुछ संजीदगी होनी चाहिए। जब मैं देखता हूं कि आज एक मिनिस्टर एक आश्वासन देता है पर कल ही वह उसे दूसरे दिन दूसरे माने दे कर टाल देता है या दूसरा मिनिस्टर उसको रद्द कर देता है, तो मुझे यह मुनासिब नहीं मालूम होता। आज हम डिमोक्रेसी अथवा प्रजातंत्र की पहली सीढ़ियों पर हैं। आज हम जो मिसालें कायम करेंगे आगे लोग उन पर चलेंगे। आज अगर कोई मिनिस्टर वायदा करे और उस पर अमल न किया जाये या उसको टाल दिया जाये तो यह ठीक नहीं है।

इस बिल में एक चीज का लिहाज नहीं रखा गया है। जब आप नोटिस देते हैं, किसी गन्दी बस्ती को साफ करने का तो वह केवल साफ करने का ही काम नहीं है। वह सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि आपका अफसर जाकर उस जगह पर कब्जा कर ले। उसी के साथ में यह सवाल भी जुड़ा हुआ है कि जो आदमी वहां रहते हैं वे कहां जायेंगे। यह भी आपको बताना चाहिये और मैं समझता हूं कि इसका इंतिजाम हो सकता है। जिस तरह की हमने अपनी पांच बरस की योजना बनायी है उसी तरह की योजना इन लोगों के मकानों के लिये भी बनायी जानी चाहिये। इन लोगों को अगर हम मकान न दे सकें तो कम से कम एक प्लाट अथवा टुकड़ा तो दे दें। जब आप प्लाट देते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उनमें सारी चीजें होनी चाहियें, बिजली होनी चाहिये, पानी होना चाहिये, सीवर होना चाहिये। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से बड़े शहर हैं जहां ये सारी चीजें नहीं हैं, जहां सीवर नहीं है, या बिजली नहीं है, पानी नहीं है। दूसरे बड़े बड़े मुल्कों में भी सब जगह यह सुविधायें नहीं हैं। वहां पर जोन्स बनाये जाते हैं। हर एक शहर में कई जोन्स होते हैं। कुछ जोन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ये सारी सुविधायें होती हैं पर उन में रहने वालों को ज्यादा किराया देना पड़ता है, दूसरे जोन्स जिनमें ये सारी सुविधायें नहीं होती उनमें किराया कम होता है। ऐसा यहां भी किया जा सकता है और जब उन जोन्स में ये सुविधाय हो जायें तो वहां पर भी किराया बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विधेयक तो काम करने का विधेयक है और जल्दी काम करने का विधेयक है। लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर कोई कमेटी इस बिल पर विचार कर लेती। अभी बहिन सुभद्रा जी ने कहा कि इस पर बहुत सी कमेटियां बन चुकी हैं। लेकिन वे कमेटियां तो इसलिये बनी थीं कि सफाई होनी चाहिये। इस विधेयक पर विचार होना जरूरी था। अगर हमको देर नहीं करनी मंजूर थी तो जब कि यह बिल राज्य सभा के सामने पेश था उस वक्त इस हाउस की एक इनफारमल कमेटी बना ली जाती जो कि इस पर विचार कर लेती। उस कमेटी में भिन्न भिन्न विचारों के मैम्बर रखे जाते और वे इस पर गौर कर लेते तो यह एक ऐसा बिल बनता कि जो ज्यादा अच्छा होता। हम तो चाहते हैं कि काम जल्दी हो और इफेक्टिवली हो। यह चीज जरूरी थी कि इस पर विचार हो जाता। खैर अगर अभी नहीं हो सकता तो आगे हम इसके बारे में सोच लेंगे।

मुझे कम्पेन्सेशन अथवा मुआविजा की इतनी फिक्र नहीं है। मेरे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि जो आदमी वहां से हटाये जायेंगे वे कहां जायेंगे। उनके बालबच्चे कहां जायेंगे। क्या वे सड़कों पर पड़े रहेंगे। उनके लिये हमको इन्तिजाम करना चाहिये। मुझे और जगह का तजुर्बा नहीं है लेकिन दिल्ली को मैं ने घूमकर देखा है। मैं ने लिखित सुझाव दिये हैं कि दिल्ली में ऐसी जगहें मौजूद हैं जो गवर्नमट ले सकती

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

है और उनके प्लाट बना कर लोगों को दे सकती है जिन पर वे अपने मकान बना सकते हैं। उनको गवर्नमेंट मकान बनाने के लिये कर्जा दे। लेकिन जो मकान बनाने के लिये मदद दी जाती है वह उन लोगों को जो कि २५,००० का मकान बना सकें। कितना रुपया है आपके पास ? आपको शहर के लोगों को पांच पांच सौ रुपया देने में तो दिक्कत होती है। फिर हमारे देश में ऐसे कितने आदमी हैं जिनकी आमदनी ६,००० से ज्यादा है। मैं ने उस वक्त भी कहा था कि इन चीजों को छोड़कर हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि शहर के रहने वालों को कम से कम एक एक प्लाट दे दें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये प्लाट बेचे न जायें, कीमत पर न दिये जायें बल्कि किराये पर दिये जायें, मकान बनाने के लिये। और जो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं उनको रोकना चाहिये। सरकार को जमीन बेचना बन्द करना चाहिये और जो दूसरी सोसाइटियां या संस्थायें जैसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह जमीनें बेचती हैं उनको भी बन्द करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है हमारे गृह-मंत्री जी जो कि इन दिक्कतों से वाकिफ हैं वे उनको दूर करने का कोई रास्ता निकालगे और अगर इस विधेयक में कोई कमी रह जायेगी तो वे उसको रूल बना कर पूरी कर देंगे।

15 hrs.

**श्री राधा रमन** : सभापति जी, इन दो विधेयकों के सम्बध में सब से पहले मैं तीन मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकार के अपने तीन मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। उन में से एक तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ही हैं और दूसरे हमारे स्वास्थ्य मंत्री और तीसरे वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई के मिनिस्टर, महोदय हैं। इन विधेयकों से इन तीनों मंत्रालयों का कुछ सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में मैं अपने प्रधान मंत्री की भी बधाई देना चाहता हूं कि यह विधेयक उन के ही आश्रय और परिश्रम से इतनी जल्दी यहां पर आ सका है। जब से उन्होंने यहां के स्लम्ज के बारे में कुछ ध्यान दिया है, तब से न सिर्फ दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी आशा बंध गई है और राहत मिली है, बल्कि उस समय से कुछ काम भी हुआ है। यह ठीक है कि जो काम इस बीच में हुआ है, वह बहुत हल्का और थोड़ा है, लेकिन इस बात को हर एक महसूस करता है कि दिल्ली वालों के लिये जो सब से बड़ी और जरूरी समस्या थी और जिसकी वजह से लाखों इन्सान मुसीबत में पड़े हुए थे, उस की तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उस के नतीजे के तौर पर कुछ थोड़ा थोड़ा आराम, कुछ राहत मिलनी शुरू हुई है। मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत इसलिये करता हूं कि ये विधेयक दिल्ली के आम लोगों की जिन्दगी के लिये बहुत ही अच्छे और लाभदायक हैं और इन से हमारी आशा बहुत हद तक पूरी होती नजर आती है।

हम ने जब कभी स्लम्ज-क्लीयरेंस को विचार में लाया है, तो बद-किस्मती से स्लम्ज की समाप्ति पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। कुछ लोग उस को स्लम-क्लीयरेंस कहते हैं और कुछ उजाड़ना कहते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि जहां तक सुधार और निवास का ताल्लुक है, उन की तरफ हमारी तवज्जह कम ही गई। नतीजा यह रहा है कि जो थोड़ा बहुत काम इस सिलसिले में पहिले हुआ—जैसा कि अभी कई मित्रों ने इस सदन के सामने कहा—उस के कारण लोगों को तकलीफें ज्यादा हुईं, उनकी मुसीबतें बढ़ीं और फायदा कम हुआ। लोग आशा करते थे कि आजाद हिन्दुस्तान में उन को अच्छी जिन्दगी बसर करने का मौका मिलेगा और उन को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत मिलने के बजाय कम ही हुई। इस लिए माननीय

गृह मंत्री का ध्यान में सबसे पहले इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि आज के वातावरण में स्लम्ज की समाप्ति की इच्छा इतनी नहीं होनी चाहिये जितनी इच्छा उसके सुधार और लोगों के निवास की होनी चाहिये। यह प्रोग्राम तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है और उससे आम लोगों को फायदा पहुंच सकता है। सब से पहले तो सुधार का काम है। जैसा कि मैंने आप से कहा है, दिल्ली नगर में कुछ काम हुआ है और हमारे प्रधान मंत्री की कुछ तवज्जह देने की वजह से हुआ है। सरकारी लोगों में उस के सम्बन्ध में कुछ उत्साह पैदा हुआ और आम लोगों को कुछ आशा हुई। कम से कम एक सौ या पचास कटरे ऐसे होंगे, जिन में हवा का गुजर नहीं था, पानी और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां आंगन में पक्के फर्श के बजाय कीचड़ ही कीचड़ था। इस प्रकार की उन सब तकलीफों में, जो कि यहां पर बयान की गई हैं, और जिन को मैं इस वक्त दोहराना नहीं चाहता हूं, लोग रहते थे। फिर कुछ रुपया इम्परूवमेंट ट्रस्ट ने खर्च किया, कुछ म्यूनिसिपल कमेटी ने खर्च किया और कुछ हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने कोष से भारत सेवक समाज जैसी एजेंसी को दिया और इस सब के कारण दिल्ली के कुछ कटरे, जो कि निहायत निकम्मी हालत में थे, जहां कि इन्सान का रहना दरगुजर, हैवानों का रहना भी मुमकिन नहीं था, दरुस्त किये गये।

**श्री गाडगील** (पूना—मध्य) : तो फिर वे कैसे रहते थे?

**श्री राधा रमण** : वे वहां पर हैवानों से भी बदतर हालत में रहते थे। मैं काका साहब से कहूंगा कि वह जरा दिल्ली की गलियों को देखें और यह मालूम करें कि जिन कटरों को दुरुस्त किया गया है, वहां भी लोगों की हालत क्या है।

सबसे बड़ा काम स्लम-क्लीयरेंस के बारे में हमारे सामने यह है कि जो मनुष्य उन स्लम्ज में रहते हैं, हम उन के साथ कैसा व्यवहार करें। यह बात सब जानते हैं कि हम ने दिल्ली को खूबसूरत बनाना है, राजधानी को गन्दी बस्तियों से मुक्त करना है और वहां के लोगों को राहत और आराम पहुंचाना है, लेकिन इस के बावजूद सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो लोग वहां रह रहे हैं मुसीबत उठा रहे हैं और तरह तरह की तकलीफों में फंसे हुए हैं, उन को दो राहत के लफ्ज हमारे सरकारी मुलाजमीन कह दें। अगर वे ऐसा करें, तो मैं कह सकता हूं कि तब वे उन लोगों का सर्वस्व भी ले सकते हैं, लेकिन वे जब भी जाते हैं, तो अपने कानून के डर को दिखाते हैं, अपने हाथ में डंडा या अपने साथ पुलिस ले कर जाते हैं और इस का परिणाम यह होता है कि उन लोगों का मन फिर जाता है और सरकार के प्रति जो श्रद्धा उन के मन में होती है, वह भी जाती रहती है और बजाय इसके कि वे अच्छे काम में सहयोग दें, उन का रुख विरोधपूर्ण हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से यह नम्र-निवेदन करूंगा कि आज वह जमाना नहीं रहा है कि सरकारी अफसर अपने को सरकारी अफसर कह कर कहीं जायें। आज तो जरूरत इस बात की है कि वह अपने को जनता का सेवक समझ कर जायें और जिस आदमी के पास वह जायें, उस को मुहब्बत, रवादारी और अच्छे सलूक से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। कई बार इस बात का सवाल आया कि जमना बाजार में बहुत से भाई स्लम एरियाज में रहते हैं, उन को उठाया जायें। देहली गेट और अजमेरी गेट से बहुत से लोग उठाये गये और उनको अन्धा मुगल में रखा गया। यहां पर उन को डेढ़, दो रुपये किराये के देने पड़ते थे, जब कि अब उनको बारह रुपये देने पड़ रहे हैं, हालांकि सरकार भी आधा देती है और वे एक तरह से सब्सि-

6 B

[श्री राधा रमण]

डाइज्ड हाउसिज हैं। अगर हम उन में से कुछ परिवारों को देखें, तो हमें मालूम होगा कि अगर वे बारह रुपये सरकार को देते हैं, तो उनको एक वक्त खाना मुयस्सर नहीं होता है और अगर वे नहीं देते हैं, तो हमारी सरकार के मुलाजमीन वहां पर उन की चमड़ी उधेड़ने के लिये पहुंच जाते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ रवादारी और प्रेम का व्यवहार नहीं किया जाता है। सरकार ने एक कानून बनाया है और उस पर अमल करना है, यही हमारे सरकारी मुलाजमीन जानते हैं। आज सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि स्लम-क्लीयरेंस के कार्य में हर एक मुलाजिम के दिल में मनुष्यता का व्यवहार करने की भावना पैदा करनी है। अगर हम ऐसा न कर सकें, तो स्लम-क्लीयरेंस का हमारा कोई प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकेगा। इस विषय में सब से पहले स्लम सुधार और लोगों के निवास की व्यवस्था करनी चाहिये। किसी स्लम को समाप्त करने का कदम हम को सब से आखिर में उठाना चाहिये। सब से पहले हम सुधार करें और उसके बाद लोगों के निवास की समस्या की तरफ तवज्जह दें। जो भाई सुधार के बाद भी उस इलाके में इन्सान की जिन्दगी हासिल न कर सकें, उनको जरूर वहां से ले जाया जा सकता है, लेकिन उन को निवास जरूर मिलना चाहिये।

हम झिलमिल ताहिरपुर में गए, वहां सैंकड़ों मकान बने हैं और इस मकसद से बने हैं कि जमना बाजार के निवासियों को वहां बसाया जाये। वे मकान बड़े अच्छे हैं और कोई भी आदमी वहां रहना पसन्द कर सकता है, लेकिन जब तक वहां पानी का इन्तजाम न हो, सब प्रकार का सुभीता न हो और ऐसी अवस्था और वातावरण न हो जिस में लोगों का सोशो-इकनामिक—सामाजिक और आर्थिक—संकट बढ़े नहीं बल्कि घटे, तब तक उन को वहीं ले जाना अनुचित है, अनर्थ है और इन्सानियत के बईद बात है। इसलिए मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें कि दिल्ली को खूबसूरत बनाना है एट दि कास्ट आफ ह्यूमैनिटी। इन्सानियत की भावना को सामने रख कर अगर आप दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं उन सब कार्यों का स्वागत करूंगा, जो कि इस भावना से किये जायें।

दिल्ली में आज १५०० कटरे ऐसे हैं, जिन को सरवे के मुताबिक स्लम करार दिया गया है। उन में कहीं कम और कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। सवाल यह है कि अगर हम इन कटरों में तीन, चार या पांच मंजिले मकान बना दें और उन तमाम लोगों को वहां जगह दे दें, जो आज वहां झोंपड़ों में और दूसरे मकानों में पड़े हुए हैं, तो हर शख्स को, बगैर किसी किस्म की आर्थिक या सामाजिक दिक्कत में डालते हुए ठीक तरह से बसाया जा सकता है और यह तमाम कार्य एक सही तरीके से पूरा हो सकता है।

लेकिन हमारी हरकार के जो बड़े अफसर हैं जब हम उनसे चार, पांच मंजिले मकान बनाने के लिये कहते हैं तो वे इंगलैंड आदि दूसरे मुल्कों की मिसाल दे कर यह कहते हैं कि अगर हमने अपने यहां चार चार और पांच पांच मंजिले मकान बनाये तो उनमें और ज्यादा कंजेशन हो जायेगा और डेनसिटी आफ पापुलेशन बढ़ जायेगी और जो इन्सान वहां पर रहते हैं उनको ज्यादा तकलीफ होगी। मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि अगर उसी इलाके के आसपास जहां पर पांच पांच मंजिले मकानों में सैकड़ों आदमी रहते हैं तो उस जरा से हिस्से में अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो उससे कोई खास नुक्सान होता नजर नहीं आता, अगर आप उसको खाली न छोड़ें और दूसरा मकान और मंजिल बना दें तो वह बेढंगा मालूम होगा, यह बात समझने में नहीं आती है। न मालूम हमारी

अक्ल में खराबी है या तो उनकी समझ में हमें यह बात उनकी समझ में नहीं आती है । मैं यह अर्ज करूंगा कि जो एप्रोच और जो तरीका इस मसले को हल करने का हमारा और हमारे अफसरान का है, उसके अन्दर बहुत काफी फर्क है और उसे हमें किसी तरीके से सुलझाना है, जब तक हमारे और उनके खयालों में समानता नहीं होती तब तक मैं समझता हूं कि उसके अमल में लाने में बहुत सारी दिक्कत होगी ।

स्लम्स् क्लिएरेंस के सिलसिले में आप ने कोम्पीटेंट एथारिटी को इतनी ज्यादा ताकत दी है, इतनी ज्यादा पावर्स दी हैं कि वह जिस किसी मकान को या जिस किसी कटरे अथवा इलाके को चाहे, उसको अनफिट फोर हियुमन हैबिटेशन करार दे सकती है । मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि वह कोम्पीटेंट एथारिटी इन पार्वस को मिसयूज करेगी अथवा उनका बेजा इस्तेमाल करेगी लेकिन मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी इलाके के लिए आप एक कोम्पीटेंट एथारिटी को अगर इतने अख्तयार दे दें तो वह कभी गलती नहीं करेगी और अगर वह गलती कर सकती है तो उस गलती को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहिये, हम उसको पावर्स देने के साथ साथ कोई ऐसी कमेटी भी प्रोवाइड करें जिसमें ऐडमिनिस्ट्रेटर के अलावा नान आफिशयल एलिमेंट भी हो जो उसको जरुरी सलाह मशविरा देती रहे क्योंकि आखिरकार सरकार जो काम करती है उसका असर जनता पर पड़ता है और जनता का असर उन लोगों पर पड़ता है जो उनकी खिदमत के वास्ते आगे रहते हैं । अब हम पालियामेंट के मैम्बर्स जनता के प्रतिनिधि होकर यहां आये हैं, हम किसी अच्छे काम के लिये क्रेडिट तो नहीं ले सकते लेकिन हर बुरे काम के लिये हमें बदनामी जरूर मिलती है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है और थोड़ा पेशंस रख कर इसमें कदम बढ़ाने की जरूरत है । इसलिये मैं आपसे निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि आपने कोम्पीटेंट एथारिटी की बात जो इस बिल के अन्दर रक्खी हैं, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन मैं यह जरूरत समझता हूं कि जो अख्तयारात इस कोम्पीटेंट एथारिटी को दिये जा रहे हैं वे शायद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को मिले अख्तयारात से कहीं ज्यादा हैं । हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का हाल देख चुके हैं और हमें इस बात का कोई सेफगार्ड (safeguard) अवश्य रखना चाहिये, कि कोम्पीटेंट एथारिटी को कोई मिसयूज करने का मौका न मिल सके और उसके द्वारा कोई गलत कदम न उठाया जाये जिस में जनता को उलाहना देने का मौका मिले कि देखो कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में हमें किस तरह से परेशान किया जा रहा है ।

अभी मेरे एक भाई ने कहा कि बहुत सारे लोगों को हम चाहते हैं कि बसायें और बसाने के उन्होंने कुछ तरीके भी बताये और मैं यह समझता हूं कि यह तरीके कारगर हो चुके हैं और उनसे बहुत लोग फायदा भी उठा चुके हैं । मैं समझता हूं कि कोई भी दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने वाला भाई बहन यह पसन्द करेगा कि वह उस जगह जा कर बसे जहां पर उसको १०० गज जमीन दी जाये और ५०० रुपये मकान बनाने के वास्ते दिये जायें या उसको कम से कम एक ऐसी जगह ले जाया जाये जहां उसकी ६० रुपये माहवार की रोजी थी नई जगह के धंधे में १२५ रुपये महीने की रोजी मिलती है और उसको वहां पर रहने के लिये मकान भी मिलता है, ऐसा यदि इंतजाम हो तो कोई वजह नहीं है कि लोग वहां पर न जायें । अगर झिलमिल ताहिरपुर में आप एक फैक्टरी कायम कर दें और जमना बाजार में जितने भी चमार रहते हैं और जिनकी कि मासिक आमदनी ५० या ६० रुपये है, अगर वहां पर उनकी आमदनी की आप यह गारन्टी कर दें कि वहां उन को ७५ रुपये मासिक पड़ जायेगा तो मैं समझता हूं कि ६ महीने के बाद कोई

(श्री राधा रमण)

चमार यह नहीं कहेगा कि मैं जमना बाजार से उठने के लिये तैयार न हूं। आज इन लाइंस पर नहीं सोचा जाता, आज तो हमें उजाड़ने की फिक्र है लेकिन उसको बसाने की या उसके वास्ते रोजगार का इंतजाम करने की फिक्र नहीं है, इन गन्दी बस्तियों में बसने वालों की हालत बेहतर बनाने की ओर हमारे सरकारी मुलाजिमों का या और लोगों का ध्यान नहीं है। मैं यह जानता हूं कि हमारे जितने भी मंत्री हैं उनके दिलों में हमदर्दी है, वह इंसानियत को हमेशा सामने रखना चाहते हैं, कोई अन्याय नहीं करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि वह एक चीज पास करते हैं लेकिन उसका अमल दूसरा हो जाता है। इसलिए मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि हमें इन लाइंस पर सोचना चाहिये, हमें उन मकानों को जो बने हैं हायर परचेज सिस्टम पर दे देना चाहिये, अगर उन लोगों को जिनको कि हटावें, उनको दूसरी जगह मकान देते वक्त यह कह दें कि मकान दस साल में उनका हो जायेगा और आपको सिर्फ ५ रुपये या ७ रुपये किराया देना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि एक शख्स जो उस जगह जायेगा उसके दिल में कम से कम यह खुशी होगी कि ५ या १० वर्ष बाद मैं उस मकान का स्वयं मालिक बन जाऊंगा और जो किराये के मकान में रह कर मालिक मकान की हमेशा की धौंस-बाजी सहता रहता था उससे मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से पुनर्वास मंत्रालय ने मकानों की समस्या को लिया और एक स्कीम चलाई उसी तरह की कोई एक स्कीम इन स्लम्स् के उठाने के सम्बन्ध में भी चलाई जाये तो मैं समझता हूं कि आज जो स्लम्स् को समाप्त करने में दिक्कत और कठिनाई पड़ती है वह बहुत हद तक दूर हो जायेगी।

दूसरा बिल जो किरायेदारों को बेदखली को रोकने के वास्ते हाउस के सामने है मैं समझता हूं कि वह बहुत जरूरी है और मैं उसका भी स्वागत करता हूं और उसे आज पास होना चाहिये और मैं उसमें कोई देर करना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि हजारों किरायेदार ऐसे हैं जो कि आज मकान मालिकों द्वारा सताये जा रहे हैं और चूंकि मकान मालिक समृद्धशाली होते हैं इसलिये वे छोटी छोटी बातों पर अपने रुपये के बल पर किसी भी किरायेदार को मकान से बेदखल करा सकते हैं और आज हजारों किरायेदार बेदखली का डर अपने दिल में लिये रात में चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिये माननीय मंत्री यह जो विधेयक लाये हैं, यह स्वागत योग्य है और यकीनन् वह उनको काफी हद तक राहत देगा लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से वह विधेयक आया है और जिस जल्दी में उसे पास किया जा रहा है, वह शायद बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है और मैं चाहता था कि उस पर अधिक वक्त लगता और हम कमेटी बैठालते और उसमें दोनों फरीकन को बुलाकर उनकी राय मालूम करते और आपस में सलाह मशविरा कर के परमानेन्ट तौर पर एक ऐसी चीज बिल की शक्ल में तैयार करते जो कि हमारे मकसद को ठीक तरह से पूरा करती ......

**Shri Nand Lal Sharma:** On a point of order. That is not under discussion now.

**Mr. Chairman:** We shall take up that Bill later on.

**Shri Radha Raman:** I was talking on both, because you said that we could do so.

**Mr. Chairman:** The second Bill shall come after the first one is disposed of.

**श्री राधा रमण** : खैर जब वह बिल आयेगा तो मैं उस पर फिर बोलूंगा। मैं स्लम्स् की सफाई की बाबत इतना कहते हुए खत्म करता

हूं कि उन गन्दी बस्तियों को उजाड़ने के सम्बन्ध में वहां के रहने वालों को जो तकलीफें होती ह, उन तकलीफों को दूर करते हुए हमें बहुत होशियारी के साथ इस स्लम्स् किलयरेंस के काम को हाथ में उठाना चाहिये और इस विधेयक में रीहाउसिंग शब्द जरूर जोड़ दिया जाना चाहिये । उसका अच्छा असर पड़ेगा और उससे सब पर रोशन हो जायेगा कि स्लम्स् की सफाई के साथ साथ आपके ध्यान में रीहाउसिंग की भी बात उतनी ही आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करते हुए उम्मीद करता हूं कि सदन इसको पास करेगा और निश्चय ही हम इससे कुछ फायदा उटा सकेंगे ।

**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** (जिला गढ़वाल —पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि जो आप ने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। इस बिल का स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे दिल्ली के गंदे कटरों की बुरी हालत को देखने का मौका मिला है और वहां की दर्दनाक हालत देखकर जो मुझे दुख पहुंचा है मैं उस का वर्णन नहीं कर सकती । एक छोटी सी कोठरी में जहां कि आराम से पैर फैलाने लायक जगह भी नहीं है वहां पर १०, १० और १२, १२ आदमियों के परिवार रहते हैं । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि फौरन ही उन की दयनीय दशा की ओर ध्यान दिया जाय और उनकी हालत सुधारने के काम को प्राथमिकता दी जाय ।

इसके इलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जो गंदी बस्तियों से गरीब लोग हटाये जायं उन को नजदीक ही बसाया जाय ताकि उनको अपने काम धंधे की जगह पहुंचने में कष्ट न हो और उन को काफी पैदल न चलना पड़े । कौशिश तो यही होनी चाहिये कि जहां से उन को उखाड़ा जाय वहीं पर दुबारा घर बनाये जाने के बाद उन को बसाया जाय । क्योंकि उस जगह पर उन का धंधा होता है । और दूसरी जगह यदि उन को बसाया गया तो उन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मेरा यह भी निवेदन है कि उन को किसी स्थान से निकालने के पहले यह निश्चय कर लेना चाहिये कि वे कहां पर बसाये जायेंगे । यदि उन के वास्ते उसी स्थान पर घर बनने हैं तो थोड़े दिन के लिये उन्हें निकट ही एक आध मील पर किसी दूसरे स्थान पर हटा कर रहने के लिए स्थान दे दिया जाय और उन को यह आश्वासन मिल जाय कि उसी स्थान पर उन्हें फिर बसाया जाएगा । गरीबों को इस तरह से तकलीफ देना अच्छा नहीं है उन की रक्षा करना बहुत जरूरी है ।

आज किस्म किस्म के टैक्स लग रहे हैं, टैक्स की मार से उन के ऊपर भीषण भार पड़ रहा है, उन के खाने पीने के लिए अनाज और पहनने के लिये कपड़ा नहीं है । आज वही लोग हमारा सारा काम करने वाले हैं, इस लिये सब से पहला कार्य जो भारत के निर्माण के लिये हमें करना है वह नीचे से होना चाहिये । भारत का निर्माण नींव को सुधार कर करना है, यानी पहले गरीबों के बारे में हमें सोचना है, इस के लिये जितने खर्च करने की आवश्यकता है वह हमें करना चाहिये । पहले इन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिये जो कि भारत की नींव को पक्का करने और उसके सुधारने में लगे हुये हैं ।

जैसा हमारे एक भाई कह चुके हैं, बड़े बड़े भवन बना कर हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि गरीब तो बेचारा खुले के खुले में ही रहेगा, और बिना किसी प्रबन्ध के या सुविधा के बहुत कष्ट पाता हुआ रहेगा । ऐसी हालत में यह हमारे लिये केवल लज्जा

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

का विषय है कि हम बड़े भवन बनाएं और उस में खुश हों।

मेरा आप से निवेदन है कि हमारी बहुत सी पुरानी राजधानियां हैं, शिमला में है, और भी कई स्थान हैं जहां पर मकान खाली पड़े हुए हैं और इधर लाखों और करोड़ों की लागत से नये मकान बनाये जा रहे हैं। आप कुछ रुपये खर्च कर के सरकारी दफ्तर बाहर ले जा सकते हैं। सरकार को दूसरी जगह दफ्तर ले जाने में कोई विशेष खर्च तथा असुविधा नहीं होगी। यहां से दफ्तर हटाए जाएंगे तो यहां पर स्थान बढ़ जाएगा और दूसरी शिमला, मसूरी इत्यादि जगहों पर जो मकान आदि हैं उन की रक्षा हो सकेगी। यहां पर जो रुपया सरकारी मकान बनाने में खर्च हो रहे हैं उन को बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो रुपया सरकार दिल्ली में मकान बनाने में खर्च करना चाहती है उस से सब से पहले गरीबों के लिये घर बनाये जाएं। उन को सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिएं, जैसे स्लमस् के मकानों में पानी और रोशनी की सुविधा, उन के ड्रेनेज का प्रबन्ध, जिस से वह फिर गन्दे न रह सकें। यह सुविधाएं देने का काम सरकार अपनी दूसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हाथ में ले तो मैं समझती हूं कि इस योजना के अन्तर्गत सब से बड़ा आराम गरीब लोगों को मिल सकेगा।

जैसा मैं ने कहा कि सरकार द्वारा जो टैक्स लगाये जा रहे हैं उस का गरीबों पर बहुत असर पड़ रहा है और वह यह सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अगर टैक्स बढ़ कर एक रुपये में १५ आने हो जाए तो उन के पास सिर्फ एक आना बच जाय और बाकी १५ आने टैक्स के रूप में चला जाए। कुछ गरीबों से मेरी बातें हुई तो उन्हों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, अगर कुछ हो तो हम त्यागने को तैयार हैं, सरकार हम को सिर्फ चार पांच सुविधाएं दे दे: खाना, पहिनना, परिवार के बच्चों की दवाई, पढ़ाई और रहने के लिये घर। यह चीजें दे दे तो बहुत उत्तम होगा। जहां तक टैक्स का सवाल है, मेरा तो यही ख्याल है कि उस के भार से जो गरीब लोग पीड़ित हैं, उन को बचाने के लिये माननीय मंत्री जी कुछ सोच तथा कर सकते हैं।

**श्री नन्द लाल शर्मा :**

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै।
नमो स्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्या
नमो स्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य :॥

माननीय सभापति महोदय, मेरे सामने मूर्ति रहती है भगवान धर्म की जो आप के ऊपर है। इस विधेयक के उद्देश्य का मैं सोलह आने समर्थन करता हूं, और कोई भी सहृदय प्राणी इस के उद्देश्य से असहमत नहीं हो सकता। किन्तु मैं ने अपने कांग्रेस के बन्धुओं की भी भावनाएं सुनी। समर्थन तो सब करते हैं, फिर भी सब ने उस के विरुद्ध शिकायत की और यह भी बतलाया है कि इस के द्वारा कैसी कैसी हानियां होने की संभावना है, जब तक इस में समुचित संशोधन न किए जाएं। मैं समझता हूं कि जहां आप के सामने स्लम को लक्षण नहीं किया गया और धारा ३ के अन्दर स्लम के लिये केवल इतना ही बतलाया गया कि कोई भी अफसर, काम्पीटेंट अथारिटी, यहां के किसी क्षेत्र के मनुष्य के निवास के लिये अनुपयुक्त कह देता है तो वह स्लम एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि पहले तो किस कैटेगरी का अफसर होना चाहिये, उस अफसर का

स्वयं कितना जोर है जिस के बल पर वह एक स्थान को स्लैम कह सके। गन्दी बस्ती कह सके। जिस जगह पर गरीब आदमी रहते हों, हम लोग केवल इस भावना में आ कर के कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इस लिये हम लोग गरीब आदमियों को आंख से नहीं देखना चाहते। हमारी आंख से गरीब ओझल हो जाए, निर्धन संसार में रहें ही नहीं, यह उस के प्रति अन्याय होगा। अभी तक हम रूस और चीन तथा दूसरे देशों से आने वाले अपने अतिथितियों को नगर के बड़े बड़े भव्य स्थान और उन में पैदा की हुई रोशनियां और दूसरे तत्वों को दिखाते हैं, लेकिन हम ने आज तक उन को वह स्थान नहीं दिखलाया, जो भारत के स्वतंत्र रहते हुए भी हमारी गरीबी के कलंक के रूप में विद्यमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं जिन के नाम से वह स्लम एरिआज या गन्दी बस्तियां कहलाती हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि उन गन्दी बस्तियों का अर्थ क्या होगा, गन्दे लोगों की बस्ती या गरीब लोगों के रहने को जगह, जहां पर लोग गन्दी परिस्थिति में रहते हैं, जिन के लिये स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं, म्युनिसिपैलिटी की ओर से सफाई का प्रबन्ध नही और जहां प्रकाश और पानी की सुविधाएं नहीं। जैसा कि हमारे गृह मंत्री महानुभाव ने कहा कि यदि यह अर्थ किया जाए तो कुछ समझ में आ सकता है, यदि निर्धनों को हम गन्दे कहने के लिये तैयार हो जाएं, Give the dog a bad name and hang him, इस अर्थ में कहें, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर एक ही विचार है कि मकान गिराना और स्थान खाली करवाना। यह बिल सारी ऐसी बस्तियों के रहने वाले व्यक्तियों पर अभिशाप रूप से लागू होगा, वास्तविक रूप में उन को इस से कोई सहायता मिलेगी, इस का कोई लक्षण हमें यहां नहीं मिला। यदि इस को हम स्वास्थ्य का प्रबन्ध कहें तो गवर्नमेंट की ओर से बनाए गए जो मकान हैं, जो आप के पुनर्वास मंत्रालय की ओर से बनाए गए मकान हैं, जो बस्तियां हैं, उन की सफाई का आज तक प्रबन्ध नहीं हुआ, आज तक आप ने उन के ड्रेनेज का प्रबन्ध नहीं किया, प्रकाश का प्रबन्ध नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार स्वयं स्लम क्रिएट करना चाहती है या स्लम का विनाश करना चाहती है ?

इस विधेयक में देख कर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ आप साठ महीने का किराया कम्पेन्सेशन रखते हैं। यमना बाजार में गवर्नमेंट ने एक गज पृथ्वी ३५ और ४० रुपया गज के हिसाब से बेची, लेकिन वहां किराया नाम मात्र को भी नहीं आता क्योंकि वहां पर पानी आता है, स्लम एरिया है, जिन खरीदने वालों के पास पैसा था उन्होंने ३५ और ४० रु० गज पर भी पृथ्वी खरीदी। अब अगर वह किराये के हिसाब से कम्पेन्सेशन पाऐंगे तो कैसे काम चल सकता है ? जिस पृथ्वी को सरकार ने चार आने गज खरीदा, वही पृथ्वी आज २०, २५, ५० रु० गज बिक रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यापार करने की पद्धति है या जनता के दुःख को मिटाने की पद्धति है।

दूसरे मुझे यह देख कर अचम्भा हुआ कि यदि एक व्यक्ति को आप का कम्पेन्सेशन स्वीकार नहीं, उस व्यक्ति ने मकान खाली नहीं किया, अथवा मकान गिराया नहीं, आप ने मकान गिराया और गिरा कर उस के मैटीरियल को बेचा और उस से आप ने अपना खर्च निकाला। फिर वह खर्च प्लस कास्ट आप ने जिस का मकान गिराया उस से वसूल किया, मकान का सर्वनाश कर के भी सामान नीलाम किया फिर if he wants to go to court, अगर वह अदालत में

[श्री नन्दलाल शर्मा]

जाना चाहता हूँ तो आप कहते हैं अपील केवल एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, कोर्ट के जूरिसडिक्शन में नहीं है, यह बड़े अचम्भे की बात है कि कोर्ट का जूरिसडिक्शन नहीं है। जहां एजिक्शन की बात लिखी गई है, वहां लिखा है

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person who has obtained any decree or order for the eviction of a tenant from any building in a slum area."

किसी दूसरी कोर्ट से वह डिक्री नहीं लेता है, तो उसको डबल लिटिगेशन करना पड़ेगा। फिर कम्पिटेंट अथारिटी के पास आएगा एक डिक्री प्राप्त करने के लिये और इस तरह से डबल डिक्री के बाद वह इविक्शन करा सकता है, नहीं तो इविक्शन नहीं करवा सकता है। एक जगह तो आप ने कोर्ट की जूरिसडिक्शन को रखा और दूसरी तरफ अपने इसको हटाया। ऐसी परिस्थिति में कहां तक जनता के साथ न्याय होगा यह आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप वास्तव में निर्धन लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो जो बातें मैं ने आप को बतलाई हैं, उन पर आप विचार करें। साथ ही साथ मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के उस सुझाव का भी हृदय से समर्थन करता हूं कि जब तक हम हटाये जाने वाले लोगों के लिये निवास का कोई दूसरा अच्छा प्रबन्ध नहीं कर लेते हमें उन को नहीं हटाना चाहिये। स्लम क्लीयरेंस के नाम को आप को खराब नहीं करना चाहिये अगर आप उनको बसाने का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझ पर समय का बन्धन लगाया है, इस वास्ते मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल धारा ८ की एक उपधारा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"8. (2) Any expenses incurred by the competent authority under sub-section (i), if not satisfied out of the proceeds of sale of materials of the building shall be recoverable from the owner of the building or any other person having an interest therein as arrears of land revenue."

मुझे तो अचम्भा होता है कि एक तो आप एक व्यक्ति का मकान गिरा रहे हैं, उसके मैटीरियल को बेचने का अधिकार भी प्राप्त कर रहे हैं, उस को कम्पेंसेशन देने का प्रश्न भी नहीं उठाते हैं और उस के बाद कहते हैं कि तेरे घर में जो कुछ भी रखा है, उसको कास्ट को रिकवर करने के लिए नीलाम कर दिया जाएगा। हम जागीरदारों, राजाओं और महाराजाओं को बदनाम करते हैं कि उन्होंने यह किया और वह किया। लेकिन हम आज जनता के साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं और वह भी जनता की प्राण रक्षा के नाम पर, उस पर हमें विचार कर लेना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कृति हमारे गृह मंत्री महोदय की नहीं है। यह भगवती स्वास्थ्य मंत्राणी जी की है जिन की नजरों के सामने बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े सुन्दर भवन, बड़े बड़े चमकीले व्यक्ति रहते हैं। मगर आप तो सहृदय हैं। आप गोविन्द वल्लभ हैं। गोविन्द के साथ स्नेह करने वाले हैं। गोविन्द कौन गोभि: इंद्रियै: विन्द्यते' प्राप्यते इति गोविन्द:। जो समस्त प्राणियों के अन्दर समस्त इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले तत्वों में सर्वअन्तर्यामी है। गृह मंत्री का पहला कर्त्तव्य स्वयं विष पीना और जनता को अमृत पिलाना है। हमारे यहां भगवान शंकर ने स्वयं विष पिया और जनता को अमृत पिलाया है। आज हम नाम तो विष को हटाने का ले रहे हैं परन्तु

इस धारा से विष ही उत्पन्न होगा । मैं क्षमा चाहूंगा यदि मैं यह कहूं कि इन पृष्ठों से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं केवल दोष निकालना ही अपना कर्तव्य नहीं समझता लेकिन जो दोष हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो कोर्ट की जुरिसडिकशन को हटाना मेरे विचार में अन्याय करना है । इस का मतलब तो समय देना और प्रश्रय देना होगा । इस लिये कोर्ट की जुरिसडिकशन का जनता के अधिकार को कभी भी छीना नहीं जाना चाहिये और साथ ही साथ जब तक दूसरे निवास का कोई प्रबन्ध न किया जाए, तब तक किसी को भी किसी जगह से न हटाया जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं जो आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

Shri M. K. Moitra: The horrible condition of these slums infuriated our Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru sometime back and he cried out in agony that the slums must be burnt down. So, when this Bill was placed before this House, I expected that really something would be done for the slum dwellers.

I come from a place, the city of Calcutta where more than 10 lakhs of people, out of a population of 26 or 27 lakhs, live in slums. In Delhi also, I understand more than 2 lakhs of people dwell in slums, and they live together with animals in horrible conditions. For improving the slums, the Second Five Year Plan has laid down a principle. I am reading it from page 562 of the Second Five Year Plan.

"The scheme is based on two main principles. The first principle is that there should be the minimum dislocation of slum dwellers and the effort should be to rehouse them as far as possible at or near the existing sites of slums, so that they may not be uprooted from their fields of employment. The second principle is that in order to keep rents within the paying capacity of the slum dwellers, greater emphasis should be on the provision of minimum standards of environmental hygiene and essential civic amenities rather than on the construction of elaborate structures."

Sir, I went through this Bill carefully and found that neither of these two principles has found any place in it. I will support the principle underlying this Bill. The Ministry at least proposes to do something for improving the slums. But, I will, at the same time, press with as much emphasis as I can command that alternative accommodation must be found before these houses are pulled down and after these slums are rebuilt those people who dwelt in those slums should be given opportunities to come back and live there in better conditions. I further suggest that when they are housed in new areas, they must not be removed far away from their places of business. These principles have been acknowledged in the Second Five Year Plan, which, I am sorry, have not found any place in this Bill.

I have nothing more to say. But, I will appeal to the hon. Minister that while replying to the debate he will accept the principles which his Government has formulated in the Second Five Year Plan.

श्री बाल्मीकी (जिला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं सब से पहले माननीय गृह मंत्री जी को, उनके गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए बिल लाने पर धन्यवाद देता हूं । यह बहुत ही जरूरी बिल है जो कि इस सैशन के आखीर में लाया गया है और मैं समझता हूं इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था । इस पर बोलने के लिए आपने मुझे जो पांच मिनट का समय दिया है, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं ।

[श्री वाल्मीकी]

गन्दी बस्तियों को साफ करने का जो प्रश्न है, यह सारे देश के सामने उपस्थित है और यह एक गम्भीर प्रश्न है। आज दिल्ली का नक्शा बदलने की बात सोची जा रही है। दिल्ली को सुन्दर बनाया जा रहा है। यह बात ठीक है कि एक तरफ तो नई दिल्ली है और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली है। दोनों के जीवन में कितना अन्तर है— एक तरफ सौन्दर्य है दूसरी तरफ गन्दगी है।

गन्दी बस्तियों की अवस्था तथा उनमें रहने वालों की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। मुझे वह दिन याद है जिस दिन अजमेरी गेट के पास जहां गंदा नाला था जहां एक गन्दी बस्ती थी और वहां पर उस गंदे नाले में हरिजनों के दो बच्चे डूबे थे, वहां पर बापू जी स्वयं गए थे— वह एक मुबारक दिन था। तब वहां से गन्दी बस्ती हटी, वहां पर शानदार इमारतें खड़ी हुई हैं।

आज यह प्रश्न हमारे सामने है वह गन्दी बस्तियों को साफ करने का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उनको हटाने से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उनको बसाने का है। जहां तक गन्दी बस्तियों को हटाने की बात है वह बहुत मंद गति से बहुत धीमी गति से चल रही है और उसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी वहां पर रहते हैं, ऐसी बस्तियां को हटाने के बाद उनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं होता, वह मेरी समझ में नहीं आता।

अभी श्री राधा रमण जी ने जमुना बाजार और दूसरी जगहों का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जो आदमी इन गन्दी बस्तियों में से हटाये जाते हैं सबसे पहले उनको फिर से बसाने का प्रबन्ध होना चाहिए। वे आदमी वहां से तब हटाये जायें जब कि उनके रहने का दूसरी जगह ठीक प्रबन्ध हो जाय। वह वहां बसाये जायें जहां उनके लिये रोजी रोजगार का प्रबन्ध हो।

नई दिल्ली में हम चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे भवन और अटटालिकायें बन रही हैं। उनसे हमें प्रसन्नता होती है लेकिन इन बस्तियों के चारों तरफ ग़रीब लोगों की झोंपड़ियां भी हम देखते हैं, जैसे चाणक्यपुरी के पास झोंपड़ियां हैं। चाहे इनको आप इस बिल की डेफीनीशन के अनुसार गन्दी बस्तियां न कहें लेकिन उनकी हालत कुछ कम खराब नहीं है। हम देखते हैं कि एक तरफ से गन्दी बस्तियां हटायी जाती हैं तो वे सरक कर दूसरी जगह चली जाती हैं और इस प्रकार सरक सरक कर बढ़ती जाती हैं। तो हमारे सामने इनको रोकने का सवाल है। चाहे इन लोगों के लिए छोटे छोटे अलग अलग मकान बनाये जायें या कई मंजिल के मकान बनाये जायें जैसा कि बम्बई और मद्रास में चालें हैं या चेरियां हैं जहां कि गरीब आदमी रहते हैं लेकिन हमको ओवरक्राउडिंग नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ओवरक्राउडिंग पाप की जड़ है। ई० डी० साइमन ने अपनी किताब "हाऊ टू एवालिश स्लम्स" में ओवरक्राउडिंग को क्राइम्स की जड़ बतलाया है। उसने कहा है कि गन्दी बस्तियों में क्राइम्स पनपते हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि जो आदमी इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं वे क्राइम करते हैं, लेकिन ये गरीब आदमी होते हैं। इनको ठीक प्रकार के मकान देने का प्रश्न हमारे सामने है। इनको जीवन के साधन देने का प्रश्न हमारे सामने है ताकि नैतिकता तथा जीवन का उठाव उन में आ सके। हम उनके हालात को जानते हैं क्योंकि हम उन हालात में पैदा हुए हैं।

हमारे समाने सबसे बड़ा सवाल इन लोगों को मकान देने का है और इन मकानों का किराया दो रुपये महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनका कम से कम किराया

होना चाहिए । जो आदमी ५० या ६० रुपये महीना पैदा करता है और बड़ा परिवार रखता है वह इससे ज्यादा किराया नहीं दे सकता । जो गरीब आदमी अजमेरी गेट से हटा कर दूसरी जगह बसाये गये हैं उन पर १२ रुपये महीना किराया लगता है । वे इतना किराया नहीं दे सकते हैं ।

जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं वनिस्पत औरों के और श्री ई० डी० साइमन ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी हालत सुधारने के लिए यह जरूरी है कि म्युनिसिपैलिटियां या केन्द्रीय और राज्य सरकारें उनको कम किराये के मकान दें और उनके बच्चों के लिए कुछ एलाउंस भी दिया जाये ताकि उनकी माली हालात पर असर पड़ सके । इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हम केवल आदर्शों की बातें करें ऐसा नहीं होना चाहिए ।

जहां तक भंगियों के आवास का प्रश्न है —उसमें बहुत कम प्रगति हुई है । हमारे सामने ऐसे मकान का नमूना भी होना चाहिए जहां कि ये साधारण आदमी आराम से रह सकें । इस सम्बन्ध में नई दिल्ली में तो कुछ संतोषजनक काम हुआ है लेकिन पुरानी दिल्ली का काम बहुत असंतोषजनक है और उसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है । इन लोगों के लिए जो मकान बनाये गये हैं उनके बारे में एक आदमी ने मुझ से कहा कि वह उस मकान में अपने बीबी बच्चों और बकरी आदि जरूरी चीजों को लेकर आराम से नहीं रह सकता । इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों के लिए जो मकान बनाये जायें उनका नमूना सही ढंग का बनाया जाना चाहिए जहां ठीक से रह सकें ।

यह जो बिल लाया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इन लोगों को बसाने में जल्दबाजी न की जाये । इनको तभी हटाया जाये जब इनके रहने का दूसरी जगह प्रबन्ध कर दिया जाये । मैं समझता हूं कि यह बिल जल्दी लाया जाना चाहिए था । इस बिल में जो कमियां हैं उनकी ओर ध्यान दिलाने का समय नहीं है । लेकिन फिर भी रूल बनाते समय इनका ध्यान रखा जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

**Mr. Chairman:** I think the Bill has been discussed from all points of view......

**Shri C. K. Nair** (Outer Delhi): Just one question, Sir.

गवर्नमेंट ने टाउन और कंट्री प्लानिंग का एक नक्शा बनाया हुआ है ।

**Mr. Chairman:** What I propose is that after the hon. Minister has replied, you can ask any question.

**Shri C. K. Nair:** Only two minutes I will take.

**Mr. Chairman:** All right. Please finish in two minutes.

**श्री च० कृ० नायर** : इस बिल के बारे में बहुत बातें कही जा चुकी हैं । मैं समझता हूं कि सारे देश में यह स्लम क्लियरेंस के लिए लाया जाने वाला पहला विधेयक है, खासकर दिल्ली के लिए तो यह पहला है ही । यह बहुत जरूरी चीज है । लेकिन केवल टाउन और कंट्री प्लानिंग का नक्शा बना लेने मात्र से ही यह काम नहीं हो सकेगा । असल में यह ह्यूमेन प्राबलम है, सोशियो-इकानमिक प्राबलम है, और जब हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे हम स्लम क्लियरेंस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि टाउन और कंट्री प्लानिंग के अन्तर्गत एक रिसर्च डिपार्टमेंट लगाया जाये जिसका काम वह हो कि स्लम क्लियरेंस में ह्यूमैन सवाल का ख्याल रखे ।

[श्री च० कु० नायर]

जिन लोगों को स्लम क्लियरेंस की वजह से हटाना पड़ केवल उनके रिहाउसिंग का ही सवाल नहीं है, उनको पूरी तरह से रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी । उनको ठीक प्रकार बसाया जाना चाहिये क्योंकि यह स्लम क्लियरेंस का आइडिया सारे हिंदुस्तान में फैलेगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जभी इस चीज का नाम लिया जाता है तो सरकार कहती है कि इसमें करोड़ों रुपया लगेगा । लेकिन मैं समझता हूं कि इतने रुपये की जरूरत नहीं है अगर हम पबलिक कोआपरेशन हासिल करें और इस काम को कोआपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत करें तो मैं समझता हूं कि आधे से भी कम रुपये में यह काम हो सकता है । यह काम भी रिसर्च डिपार्टमेंट को सौंपा जाना चाहिए । इस विभाग में अनुभवी और इमेजिनेटिव लोग होने चाहिये जो कि समाजवादी समाज का कनसेप्शन रखने वाले हों । ऐसे लोगों का डिपार्टमेंट कायम करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही बुनियाद बन जायेगी । अगर हम ऐसा करें तो मैं समझता हूं कि हम इस चीज को कामयाबी के साथ कर सकेंगे ।

इसमें जो डेफीनीशन दी हुई है उसमें सिर्फ स्लम क्लियरेंस का ही जिक्र है । यह काफी नहीं है । इसमें रिहाउसिंग का भी जिक्र होना चाहिए । मुमकिन है कि क्लियरेंस के साथ शायद रिहाउसिंग रखने की जरूरत न हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि नई पार्लियामेंट शुरू होते ही रिहाउसिंग का एक अलग बिल पेश किया जाये ताकि हम इस दुःखदायी हालत को सुधार सकें ।

**पंडित गो० ब० पन्त** : सभापति महोदय, इस बिल के सिलसिले में करीब करीब सभी व्याख्यान हिन्दी में हुए । इसलिए मैं उचित समझता हूं कि थोड़ी सी बातें मैं भी उसी भाषा में कहूं ।

यहां जो भी बातें आज कही गयीं उनसे बहुत हद तक मैं भी सहानुभूति रखता हूं । स्लम क्लियरेंस इसी गरज से किया जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनको उसके जरिये कुछ नजात मिले, कुछ उनकी तकलीफें दूर हों और जो स्लम्स में रहने की वजह से और उनका रहने का ढंग ठीक न होने से उनकी तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुंचता है उसका उपाय किया जाये ताकि वे आराम और आशायस के साथ रह सकें । अगर उस स्लम क्लियरेंस का तरीका ऐसा हो कि जिससे उनको असल में फायदा न पहुंचे और नकलीफ ज्यादा हो तो वह तो गलत बात होगी । वह होना नहीं चाहिए । यह भी सही है कि जब स्लम क्लियरेंस का काम किया जाये तो जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनके लिए जहां तक मुमकिन हो रहने के लिए इन्तिजाम होना चाहिए । इन स्लम्स में हालत ऐसी है कि २५०० आदमी एक एकड़ में रहते हैं । जैसा कि मैं ने पहले कहा था मामूलन एक एकड़ में २०० से ज्यादा आदमियों का रहना मुनासिब नहीं होता । मगर यहां औसतन ६०० रहते हैं । अब अगर २५०० के स्लम को साफ किया जाये तो एक दम २५०० आदमियों का वहीं रहने का इन्तिजाम हो जाये यह तो गैर मुमकिन बात है और उन २५०० को बराबर उस गन्दी बस्ती में रहने के लिए मजबूर किया जाये जब तक कि सब के लिये जगह पहले न हो जाये यह भी मुनासिब बात नहीं है । इस सम्बन्ध में उन दो उसूलों को सामने रखना बहुत फ़ायदेमन्द होगा, जो कि यहां पर रखे गए हैं—एक तो यह कि जहां तक मुमकिन हो, उन लोगों के लिए रहने की जगह हो और दूसरा यह कि जहां तक मुमकिन हो, उन को ऐसी जगहों में आबाद किया जाय, जहां उन के गुजारे का जरिया हो सके । इन को ध्यान में रखने से, जो दिक्कतें हो सकती हैं, वे नहीं होंगी और होंगी, तो बहुत हद तक कम हो जायेंगी । मगर एक बात का यहां ख्याल करना है और वह यह कि स्लम बजाते-खुद एक बुरी चीज

है—खुली जमीन में रहना और एक झोंपड़ा डाल लेना बेहतर है बमुकाबिल ऐसे स्लम म रहने के, जिस में हवा भी नहीं आती है और घोड़ा और आदमी एक साथ रहते हैं, जिस के नजदीक न कहीं कोई सफ़ाई का इन्तज़ाम है, न कहीं पर कोई लैवेटरी है, न पानी है। इन बातों का इन्तज़ाम निहायत ज़रूरी है। जो तरीका इस बिल में रखा गया है, वह तो यह है कि अव्वल तो स्लम्ज़ के मालिकों से कहा जाय कि वे उन को ठीक करें। इन स्लम्ज़ को दूर करने और वहां नए मकान बनाने में वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच में कोशिश की गई है —जैसा कि नायर साहब जानते हैं और उन्होंने भी शिरकत की है इस में—कि उन स्लम्ज़ में पानी चला जाय, वहां पर टट्टी वगैरह का इन्तज़ाम हो जाय, रौशनी हो जाय, नालियां बन जायें और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। इस बिल में दो तीन तरीके हैं। एक यह है कि स्लम्ज़ में जहां तक हो सके, एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जायें और वहां के लोगों को इन खास ज़रूरतों के सामान न होने से जो तकलीफ़ होती है, वह दूर की जाय। दूसरा यह है कि जो खतरनाक मकान हों, उन के मालिक से कहा जाय कि उन को तोड़ो, अलग करो और अगर वह न करे, तो सरकार खुद तोड़ दे। एक साल का वक्त दिया गया है, जिस में वह उस को ठीक कर ले और अगर ऐसा न करे, तो सरकार खुद उस को डेवेलपमेंट कर सकती है।

जहां तक मुझे मालूम है, डेढ़ सौ, दो सौ के करीब ऐसे कटरे हैं, जहां एमिनिटीज़ दी गई हैं और उस में पांच हजार रुपया फ़ी कटरा खर्च आया है। १७००, १८०० कटरे ऐसे हैं, जिन को ये एमेनिटीज़ दी जा सकती हैं। वे फ़ौरन दी जानी चाहिएं।

इन लोगों के लिए मकानात हों, इस का भी इन्तज़ाम किया जा रहा है। यह ठीक है कि उन को बढ़ाना चाहिए, उन में इज़ाफ़ा करना चाहिए, मगर करीब करीब १८०० मकान बन चुके हैं—मैं समझता हूं कि १४७१ ठीक तादाद है और १७४८ मकान करीब करीब दो महीने में और हो जायेंगे। इस तरह करीब ३२०० मकान उन के रहने के लिए हाल ही में हासिल हो जायेंगे। लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है। उस को हमदर्दी से तय करना है, तेज़ी से तय करना है। जैसा कि यहां पर कहा गया, सब से ज़रूरी बात यह है कि दूसरे की तकलीफ़ को सामने रखते हुए और इस ख्याल को सामने रखते हुए कि इन की बेहतरी के लिए यह काम किया जा रहा है, और इन को तकलीफ कम से कम हो, इस काम को अंजाम देना है और पूरा करना है। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं ने कहा है, यह भवन उससे सहमत होगा। इस तरीके पर काम होने से फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त भी एक हाउसिंग कमेटी यहां है, जिस में ज्यादातर हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। उस में हैल्थ मिनिस्टर साहब हैं, नायर जी, श्री नवल प्रभाकर, श्री राधा रमण, श्री गिडवानी, श्रीमती अनीस किदवाई, श्री जसपत राय कपूर हैं और अभी कल श्रीमती सुभद्रा जोशी भी इस में रखी गई हैं। यह काम इस तरह होना चाहिए, जिस में जनता का सहयोग अवश्य मिले। उस के बगैर इस काम में दिक्कतें हो सकती हैं और जितनी तेज़ी के साथ हम चलना चाहते हैं, उतनी तेज़ी के साथ चल नहीं सकते हैं। इसलिए कोई न कोई ऐसा ढंग होना चाहिए, जिससे जनता का सहयोग मिल सके, लोग खुद इस काम की बेहतरी को समझ सकें।

इस बात की ज़रूरत है कि स्लम के तोड़ने या दूर करने या बनाने के लिए भी स्लम के रहने वालों को समझाया जाय कि वह उन के फ़ायदे के लिए है, किस गरज़ से है, किस गरज़ से नहीं है। हर काम में एजूकेशन की ज़रूरत है। सरकार जा कर मकान को बना भी दे, मगर लोग उस के फ़ायदे को न समझें, तो उस का लुत्फ़ उन को आता नहीं है। हर काम

(पंडित गो० व० पन्त)

ऐसे होना चाहिए कि जिस के लिए वह किया जाता है, वह उस के फायदे को महसूस कर सके और उस के सहयोग से वह काम हो सके, इस की कोशिश जरूर होनी चाहिए ।

कुछ यह कहा गया कि जिन लोगों के ये स्लम्ज लिए जायेंगे, उन में से बाज़ों के मकान अपने हो सकते हैं, जिन में वे खुद रहते हैं । इस बिल में भी यह है कि अगर कोई स्लम क्लीयर की जाय, उस में कोई ऐसा मकान हो, जो कि काम में आ सकता है, जिस में वह शख्स खुद रहता हो, तो वह छूट सकता है । यह ज़रूरी नहीं है कि हर मकान ले लिया जाय । मैं समझता हूं कि यह बात काबिले-गौर है कि अगर किसी का अपना मकान हो, वह उस में रहता हो, वहां पर स्लम क्लीयर की जाय और उस जगह मकान बने, तो उस के रहने का इन्तज़ाम होना चाहिए । स्लम में जो अपने मकान में रहता हो और स्लम-क्लीयरेंस के बाद नए मकान बनने पर उस की दिक्कत बढ़ जाय, इस का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि उस को भी राहत मिल सके और वह ज्यादा दिक्कत म न पड़े । इस बात का ख्याल करना भी मुनासिब होगा और ऐसा किया जायगा ।

इस बात का जिक्र फिर किया गया है कि मुआवज़ा कम है । मैं समझता हूं कि मुआवज़ा करीब करीब पचास हज़ार रुपये फ़ी एकड़ औसतन पड़ता है । हम को यह देखना है कि क्या स्टेट को इससे ज्यादा देने की गुंजायश है और अगर है, तो फिर इन कामों को हम तेजी से कर सकेंगे, या वे ढीले पड़ जायेंगे और उन की रफ्तार कम हो जायगी । यह कहना सही है कि यह मुआवज़ा मार्केट रेट के मुताबिक नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि अगर इन स्लम्ज़ को वैसे ही गिरा दिया जाता और कुछ न दिया जाता और ऐसी अनसोशल एक्टिविटीज़ को बन्द करने के लिए कोई भी ज़राय अख्तियार किये जाते, तो वह नामुनासिब न होता । मैं समझता हूं कि जिस गरज़ के लिए यह काम किया जा रहा है, वह सब से ज़रूरी है और कोई भी बात उस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए । जहां पर लोगों की हिफाज़त, सेफ्टी, तन्दुरुस्ती और मारल्ज़ की बात आती है, तो उस का इलाज करना सब से ज़रूरी है और उस में पैसे का सवाल लाना मेरी समझ में देखने का गलत तरीका है और हमारे देश में कभी भी लोगों की मर्यादा और तरीका ऐसा नहीं रहा है । इस बिल के मुताबिक जो कुछ मिलता है, वह भी एक तरह से कम नहीं है । अगर दिल्ली में ज़मीन की कुछ बरस पहले की कीमतों का अन्दाज़ा लगाया जाय, तो उस हिसाब से उन को पूरी कीमत मिल जाती है । इधर कीमत बहुत चढ़ गई, लेकिन जो पुरानी कीमत थी, उस की करीब करीब आधी है । इस में यह भी समझना चाहिए कि मान लीजिए एक जगह २५०० आदमी रह रहे हैं, जब कि मामूलन वहां २०० आदमी रहने चाहिएं । उस जगह के मालिक को २०० आदमियों का किराया मिलना चाहिए, लेकिन अगर उस को २५०० आदमियों का किराया मिले, तो उस को बारह गुना किराया मिल गया और अगर उस को दो दो साल तक वह किराया मिल गया, तो उस को जितना किराया असल में मिलना चाहिए था, उससे चौबीस गुना किराया मिल गया । जितने कुनबे वहां रहते हैं, जितनी भीड़ रहती है, जो क्राउडिंग होता है, उस के लिहाज़ से वह किराया बहुत ज्यादा होता है और उस को दूर करने के लिए यह इलाज किया जाता है । तो फिर अगर उसी ज्यादा किराये को यह समझा जाय कि यह मुनासिब है और उसको मार्केट रेट मान कर दिया जाय तब तो यह सारा उसूल बिल का गिर जाता है और फिर कोई स्लम्स क्लियरेंस का सवाल उठता नहीं । इसलिए इसके मुआविज़े की रक़म को देखने में इस बात का खयाल होना चाहिए कि यह स्लम्स हैं या वह ज़मीन रोजी का साधन

है जिस में कि कई गुना ज्यादा किराया मिल रहा है इसलिए कि उसमें स्लम्स हैं और जाहिर है कि अगर मुनासिब ढंग से काम आती तो उस ज़मीन की क़ीमत बहुत कम होती और मकानात उसमें बहुत नहीं होते । इस तरह के टूटे फूटे बदनुमा मकान बने हुए हैं और उनकी मरम्मत भी नहीं होती, इसलिए इस क़िस्म की चीज़ों के लिए तो सामाजिक दंड का नियम होना चाहिए और अगर वह न हो तो उनकी सफ़ाई तो की ही जानी चहिए ।

16 hrs.

यहां पर यह जो कहा गया कि स्लम्स की सफाई के सिलसिले में अदालत में अपील करने का अधिकार होना चाहिए यानी इस एथारिटी के फ़ैसले के खिलाफ़ अदालत में अपील दायर की जा सके । उसकी बाबत मेरा यह कहना है कि जो इस में बातें रक्खी गई हैं उनका इन्तज़ाम तो उस एथारिटी के ज़रिए होगा और मैं समझता हूं कि यह मुनासिब होगा कि उसमें नान आफ़िशिएल्स का कोआपरेशन हो और इस ढंग से काम हो कि सब मिल जुल कर काम कर सकें और अगर इस तरह काम किया जाय तो अदालत की कोई ज़रूरत नहीं रहती है । अदालत में अपील करने के लिए काफी रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और वहां पर अर्से तक जिरह और बहस मुबाहिसा चलता है और जिसका कि नतीजा यह होगा कि ग़रीब लोग बिलकुल तबाह हो जायेंगे और आज के हालात में मैं समझता हूं कि उनमें इतना दम नहीं है कि वह यह सब खर्चा बर्दाश्त कर सकें । आखिर में इस मुकद्दमेबाजी का दूसरों को फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे वहां बहुत से लोगों को एक कानूनी चस्का होता है और भले ही घर बिक जाय, गहने लत्ते बिक जायें लेकिन वह मुकद्दमा आखिर तक लड़ते जाते हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते हैं और जिसका कि नतीजा यह होता है कि बहुत से लोग दिवालिया हो जाते हैं ।

**श्री नन्द लाल शर्मा** : न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत में अपील करने के अतिरिक्त और हमारे पास साधन ही क्या है ?

**पंडित गो० ब० पन्त** : ऐडमिनिस्ट्रेटर के पास अपील का साधन होगा । इसके अतिरिक्त यह पार्लियामेंट मौजूद है जहां कि हर चीज़ की बहस हो सकती है । अगर ग़लत चीज़ें की जाती हैं तो उसकी पबलिसिटी होती है और उसका सारा असर जनता पर पड़ता है । दरअसल जो हाईएस्ट कोर्ट आफ़ अपील है, वह यह पार्लियामेंट है । यहां हर चीज़ के मुताल्लिक़ बहस मुबाहिसे की गुंजाइश होती है, इसलिए इसमें यही एक ढंग मुमकिन हो सकता है जिसकी कि बिना पर यह काम हो सके ।

मैं समझता नहीं हूं कि मैंने कोई खास बात छोड़ दी है जो कि यहां पर कही गई हो । असल में हम सब को यह समझना चाहिए कि यह काम ऐसा है जो बड़ा ज़बर्दस्त है और जिसके कि करने में वक्त लगेगा । यह समझना कि एक दिन में हम इसे कर डालेंगे, गलत बात है ।

कुछ लोगों ने यह कहा कि भारत को आज़ादी मिले ६, ७ साल हो गये लेकिन अभी तक हमारे देश में यह स्लम्स बाक़ी हैं । मैं उनसे कहूंगा कि वे बाहर के उन मुल्कों की तरफ़ निगाह उठा कर देखें जिनकी कि माली हालत हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है और जिनको कि सैकड़ों वर्ष आज़ादी भोगते हुए हो गये ह, वहां पर भी यह स्लम्स् मौजूद हैं । हमारी ओर से इन स्लम्स् को दूर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसके रास्ते में कुछ दिक्कतें हैं जैसे कि यहां के लोगों की औसत आमदनी दूसरे देशों के मुक़ाबले में कम है और लोगों की अपने मामूली खर्चों को चलाने की गुंजाइश कम है । सब से बड़ी प्रोब्लम पापुलेशन की है और हम देखते हैं कि हमारी आबादी रोज़ व रोज़

[पंडित गो० व० पन्त]

बढ़ती ही जाती है। पापुलेशन में कोई कमी नहीं होती है और ग्रामतौर पर मुल्क में ग्राबादी बढ़ती जाती है। दिल्ली का तो कहना ही क्या है और यहां पर ग्रगर हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि रोजाना दिल्ली में कितने ग्रादमी बढ़ रहे हैं। यह काम ऐसा है कि इसके लिए काफ़ी वक्त ग्रौर कोशिश करने की जरूरत है। जरूरत यह है कि हम ग्रागे बढ़ें ग्रौर ग्रपने इस काम को कामयाब बनाने के लिए ग्रपनी पूरी ताक़त लगा दें। जितने भी यहां के काम करने वाले हैं उनका ध्यान इस समस्या की ग्रोर गया है ग्रौर उन्होंने इस बारे में ग्रपनी ग्रावाजें उठाई हैं। भारत सेवक समाज के जरिए इस काम को लोगों ने किया है ग्रौर उनकी मदद इस काम में बराबर रहेगी ग्रौर मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी मदद से यह काम निरन्तर ग्रागे बढ़ता जावेगा ग्रौर वह दिन जल्दी ग्राने वाला है जब हम ग्रपने मक़सद में कामयाब हो जायेंगे ग्रौर हम दिल्ली को ज्यादा साफ़ ग्रौर सुथरा देख सकेंगे।

**Mr. Chairman**: The question is:

"That the Bill to provide for the improvement and clearance of slum areas in certain Union territories and for the protection of tenants in such areas from eviction, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

**Mr. Chairman**: We now come to the clause-by-clause consideration. Shri Radha Raman is not present.

The question is:

"That clauses 2 to 30 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 30 were added to the Bill.*

**Clause 31**—(*Service of notices, etc.*)

**Shri Jhulan Sinha** (Saran North): I beg to move:

Page 13, line 6—

*for* "by post" *substitute*:

"by registered post with acknowledgement due".

मुझे ग्रपने इस संशोधन के बारे में ग्रधिक नहीं कहना है। मैं यह चाहता हूं कि यह जो नोटिस भेजा जाय यह ग्राडिनेरी पोस्ट के द्वारा न भेजकर रजिस्टर्ड पोस्ट ऐक्नौलेजमेंट ड्यू करके भेजा जाय ताकि जिस पर ग्राप नोटिस सर्व कर रहे हैं उसको यह बहाना ग्रौर ऐतराज करने का मौक़ा न मिले कि उसे वह नोटिस नहीं मिला ग्रौर इस मंशा को लेकर मैंने ग्रपना यह ग्रमेंडमेंट दिया है।

**Mr. Chairman**: Amendment moved:

Page 13, line 6—

*for* "by post" *substitute*:

"by registered post with acknowledgement due".

**पंडित गो० व० पन्त**: इसमें यह नहीं ग्रा सकता, मगर इसके रूल्स जब बनेंगे तब उस पर खयाल किया जायगा।

**श्री झूलन सिंह**: मैं ग्रपना ग्रमेंडमेंट प्रेस नहीं करना चाहता ग्रौर मैं उसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

**Pandit G. B. Pant**: The hon. Member withdraws his amendment.

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

**Mr. Chairman**: The question is:

"That clause 31 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 31 was added to the Bill.*

*Clauses 32 to 40 and the Schedule were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**Pandit G. B. Pant:** I beg to move:

"That the Bill be passed."

**Mr. Chairman:** The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

---

## DELHI TENANTS (TEMPORARY PROTECTION) BILL

**The Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Swaran Singh):** I beg to move:

"That the Bill to provide for the temporary protection of certain classes of tenants in the Union Territory of Delhi from eviction, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

**Shri U. M. Trivedi** (Chittor): On a point of clarification, I wish to say that on page 3 of this Bill which has been supplied to us, nothing has been printed. It has been left blank......

**Shri Nand Lal Sharma** (Sikar): The same is the case with other copies also. There is nothing printed on it. We are not able to see what law is intended to be made.

**Mr. Chairman:** That is the end, I am told.

**Shri U. M. Trivedi:** But Pandit Thakur Das Bhargava tells us that there is something to be printed on page 3.

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Gurgaon): The Bill, when it was in the Rajya Sabha, contained the Statement of Objects and Reasons etc. When it has been passed by Rajya Sabha, all those things have been taken away as they are taken away in all the Bills.

**Shri U. M. Trivedi:** How are we to know that there are only five clauses?

**Mr. Chairman:** The original Bill, as it was introduced in the Rajya Sabha, has also been circulated to Members and from that you have to infer. The hon. Minister may continue.

**Sardar Swaran Singh:** Sir, this Bill, as passed by Rajya Sabha, seeks to give temporary protection against eviction to certain categories of tenants and the protection is both against passage of a decree for eviction as also against execution if the decree had already been passed. There are two things to be seen.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** There is no provision for pending cases and any decree can be passed.

**Sardar Swaran Singh:** There is no provision with regard to pending cases as such but, obviously, if a decree is passed—the suits will not be stayed—that will not be executed. So it will cover those cases also.

There are two things which I want to mention before I go to the relevant provisions of the Bill; one is that this temporary protection extends over a period of two years and, secondly, there is a limit that this will cover only those tenants who pay a monthly rent up to Rs. 100; that is, it does not afford protection to those tenants who might be paying a rental of more than Rs. 100 per month.

**Shri Velayudhan** (Quilon *cum* Mavelikkara — Reserved — Sch. Castes): Why?

**Sardar Swaran Singh:** Did I hear Shri Velayudhan to say "Why"? Does he want protection to be afforded to tenants who pay a monthly rent of more than Rs. 100 also?

**Shri Velayudhan:** My contention is that almost all the capitalists are getting more rent.

**Sardar Swaran Singh:** Is he trying to help them or protect them?